ที่ พณ ๑๓๐๙.๐๙/ ๑๓๖๓

📤 สภาอุตสาหกรรมฯ
เลขที่รับ...0.5.17.0.9.....
1 5 ส.ค. 2567

ถึง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรมการค้าต่างประเทศ ขอแจ้งประกาศของหน่วยงาน Directorate General of Trade Remedies (DGTR) กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม สาธารณรัฐอินเดีย ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ผลการไต่สวน ชั้นที่สุด (Final Findings) กรณีการไต่สวนการทุ่มตลาด (Anti – Dumping: AD) สินค้า Welded Stainless-Steel Pipes and Tubes ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย โดยกำหนดให้ เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากไทยในอัตรา ๐ – ๒๔๖.๔๙ เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่ง DGTR จะเสนอผลการ ไต่สวนดังกล่าวต่อรัฐบาลกลางเพื่อพิจารณาการใช้บังคับมาตรการ AD กับสินค้าดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ สามารถ ดาวน์โหลดประกาศดังกล่าวได้ตาม QR Code ที่แนบ มาเพื่อทราบ และแจ้งสมาชิกที่เกี่ยวข้องให้ทราบโดยทั่วกัน





กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า โทร ๐ ๒๕๔๗ ๔๗๓๘ โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๔๗๔๑

55	บเอกสารแล้ว
ชื่อผู้รับ	บเอกสารแล้ว M. (แก่ทๆ)
วันที่ .	19 A. A. 2567/10:144.
โทรศัพท	ſ

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082024-256200 CG-DL-E-08082024-256200

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 204] No. 204] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 6, 2024/ श्रावण 15, 1946 NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 6, 2024/ SHRAVANA 15, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम निष्कर्ष

नई दिल्ली 6 अगस्त 2024

<u>मामला सं - एडी (ओआई) - 25/2023</u>

विषय: थाईलैंड और वियतनाम में उद्भूत या वहां से निर्यातित वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइपों और ट्यूबों के आयात से संबंधित पाटन रोधी शुल्क जांच।

फा .सं 6/28/2023-डीजीटीआर.— समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में भी संदर्भित) और समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (डंप की गई वस्तुओं पर पाटन रोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रह और क्षति के निर्धारण के लिए) नियम, 1995, समय-समय पर संशोधित (इसके बाद "एडी नियम" के रूप में संदर्भित);

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, नई दिल्ली, और स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, गुजरात (इसके बाद "आवेदक" या "आवेदक संघ" के रूप में संदर्भित), ने 4925 GI/2024 (1)

31 जुलाई 2023 को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) और एंटी- डंपिंग नियम, 1995 (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित) के अनुसार प्राधिकरण के समक्ष पाटन रोधी जांच शुरू करने के लिए एक आवेदन दायर किया। थाईलैंड और वियतनाम (इसके बाद 'विषय देशों' के रूप में भी संदर्भित) से "वेल्डेड स्टेनलेस स्टील ट्यूब और पाइप" (इसके बाद 'विचाराधीन उत्पाद' या 'पीयूसी', या 'विषय वस्तुओं' के रूप में भी संदर्भित) का आयात। यह आवेदन, भारत में संबंधित वस्तुओं के उनके सदस्यों और उत्पादकों की ओर से किया गया था। आवेदकों के चालीस (40) सदस्यों (इसके बाद "आवेदक घरेलू उत्पादक" या "घरेलू उद्योग" के रूप में संदर्भित) ने ट्रेड नोटिस 09/2021 दिनांक 29 जुलाई, 2021 की आवश्यकताओं के अनुसार डेटा प्रस्तुत किया।

2. प्राधिकरण ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, अधिसूचना संख्या 6/28/2023- डीजीटीआर दिनांक 30 सितंबर, 2023 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई – असाधारण, अस्तित्व का निर्धारण करने के लिए नियमों के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9ए के अनुसार विषय जांच शुरू करना, (ग) सरकार ने संबंधित देशों में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं की कथित पाटन की मात्रा और प्रभाव की सीमा और प्रभाव की सिफारिश करने तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने के लिए जो यदि उद्गहण किया जाता है तो घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

ख. प्रक्रिया

- 3. वर्तमान जांच में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:
 - उपर्युक्त नियमों के अंतर्गत, प्राधिकरण को संबंधित देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचने की दलील देते हुए घरेलू उद्योग की ओर से आवेदकों से एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ था।
 - II. प्राधिकरण ने नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने से पहले आवेदन प्राप्त होने के बारे में भारत में थाईलैंड और वियतनाम के दूतावासों को अधिसूचित किया।
 - III. प्राधिकरण ने अधिसूचना संख्या 06/28/2023 दिनांक 30 सितंबर 2023 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण में एक सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित किया, जिसमें संबंधित देशों से संबंधित वस्तुओं के आयात पर पाटन रोधी शुल्क जांच शुरू की गई।
 - IV. उपलब्ध सूचना के अनुसार प्राधिकरण द्वारा भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबंधित देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और अन्य इच्छुक पाटयों को सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अगे्रिषत की गई थी तािक उन्हें नियमों के नियम 6(2) के अनुसार विषय जांच शुरू करने के बारे में सूचित किया जा सके।
 - V. प्राधिकरण ने ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में अपने दूतावासों के माध्यम से संबंधित देशों की सरकारों और अन्य इच्छुक पक्षकारों को जिन्होंने नियमों के नियम 6(3) के अनुसार लिखित रूप में इसके लिए अनुरोध किया था, को आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण की एक प्रति प्रदान की। आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण की एक प्रति अन्य इच्छुक पार्टियों को भी प्रदान की गई थी, जहां भी अनुरोध किया गया था।
 - VI. प्राधिकारी ने पाटन रोधी शुल्क जांच आरंभ करने संबंधी सार्वजनिक नोटिस की एक प्रति संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा अन्य इच्छुक पक्षों को भेजी तथा उन्हें जांच शुरुआत अधिसूचना या विस्तारित समय सीमा में निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रारूप और तरीके से प्रश्नावली का उत्तर दाखिल करने तथा नियमों के नियम 6(4) के अनुसार लिखित रूप में अपने विचार बताने का अवसर प्रदान किया। प्राधिकारी ने सभी इच्छुक पक्षों तथा संबंधित मंत्रालय को आर्थिक हित प्रश्नावली भी जारी की।
 - VII. प्राधिकरण ने निर्यातक प्रश्नावली संबंधित देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को अगे्रषित की क. डॉकवेइलर एशिया कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड

- ख. आई स्टेनलेस स्टील कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
- ग. ईश्वर प्रोफाइल (थाईलैंड) कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
- घ. लोहाथाई स्टेनलेस कंपनी लिमिटेड. थाईलैंड
- ङ. टोयो मिलेनियम कं, लिमिटेड, थाईलैंड
- च. थाई जर्मन प्रोडक्ट्स पब्लिक कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
- छ. मेटुन इंटरनेशनल कॉर्प, थाईलैंड
- ज. मेटलमैन एक्जिम (सिंगापुर) पीटीई, थाईलैंड
- झ. सीएसई टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
- ञ. जिया अन्ह हंग येन कंपनी लिमिटेड. वियतनाम
- ट. जिया अन्ह ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, वियतनाम
- ठ. हा अन्ह स्टेनलेस स्टील कंपनी लिमिटेड, वियतनाम
- ड. आईनॉक्स होआ बिन्ह, जेएससी, वियतनाम
- ढ. मिन्ह हु लियन जेएससी, वियतनाम
- ण. नाम कुओंग मेटल कंपनी लिमिटेड, वियतनाम
- त. ओएसएस दाई डुओंग इंटरनेशनल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, वियतनाम
- थ. सोन्हा इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, वियतनाम
- द. स्टील 568 कं, लिमिटेड, वियतनाम
- ध. टैप इंटरनेशनल, जेएससी, वियतनाम, वियतनाम
- न. तुआन डाट मेटल कंपनी लिमिटेड, वियतनाम
- विनायनोक्स. वियतनाम
- फ. विनलोंग स्टेनलेस स्टील (वियतनाम) कंपनी लिमिटेड, वियतनाम
- VIII. विषय देशों की सरकारों से भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें। ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के ब्यौरों के साथ संबंधित देशों के दूतावासों को भेजी गई थी।
- IX. विषय देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातकों की प्रश्नावली का जवाब दायर किया:
 - क. आई स्टेनलेस स्टील कंपनी लिमिटेड. थाईलैंड
 - ख. सोन्हा इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, वियतनाम
 - ग. स्टील 568 कं, लिमिटेड, वियतनाम

- घ. टीवीएल स्टील प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, वियतनाम
- ङ. जिया अन्ह हंग येन कंपनी लिमिटेड, वियतनाम
- च. ओएसएस दाईदुओंग इंटरनेशनल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, वियतनाम
- X. प्राधिकरण ने भारत में विचाराधीन वस्तुओं के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आवश्यक सूचना मांगने के लिए अधिसूचना की एक प्रति अगे्रिषित की। अधिसूचना के प्रत्युत्तर में किसी भी आयातक/प्रयोक्ता ने प्रश्नावली का उत्तर दाखिल करके उत्तर नहीं दिया है।
- XI. प्राधिकरण ने संबंधित देशों के दूतावास, सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और घरेलू उद्योग को आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की। आर्थिक हित प्रश्नावली को प्रशासनिक लाइन मंत्रालय के साथ भी साझा किया गया था। आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर केवल आवेदकों और सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों अर्थात आई स्टेनलेस स्टील कंपनी लिमिटेड, सोना इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है।
- XII. इच्छुक पार्टियों को निष्पक्ष तुलना के लिए गैर-गोपनीय आवेदन के प्रसार की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर पीयूसी के दायरे पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने और यदि आवश्यक हो तो उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) का प्रस्ताव करने का अवसर दिया गया था. इच्छुक पार्टियों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करने के बाद, पीयूसी/पीसीएन को दिनांक 15 अप्रैल, 2024 के नोटिस द्वारा अधिसूचित किया गया था।
- XIII. डीजीटीआर की वेबसाइट पर सभी इच्छुक पार्टियों की एक सूची अपलोड की गई थी, साथ ही सभी पक्षों से अनुरोध किया गया था कि वे प्रत्येक इच्छुक पक्ष को अपने सबिमशन के गैर-गोपनीय संस्करण को ईमेल करें।
- XIV. वर्तमान जांच के उद्देश्य से जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 (12 महीने) है। क्षति विश्लेषण अवधि में 2019- 20, 2020-21, 2021-22 और जांच की अवधि शामिल है।
- XV. आवेदकों ने कहा कि उनके पास डीजीसीआई एंड एस लेनदेन-वार डेटा तक पहुंच नहीं है और इसलिए, भारत में आयात के बारे में जानकारी बाजार खुफिया जानकारी के अनुसार प्रदान की गई थी। प्राधिकरण द्वारा प्रणाली महानिदेशालय (डीजी सिस्टम्स) से अनुरोध किया गया था कि वे पिछले तीन वर्षों के लिए संबंधित वस्तुओं के आयात और जांच की अविध, जो प्राधिकरण द्वारा प्राप्त हुई थी, का लेनदेन-वार ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए।
- XVI. वर्तमान जांच शुरू करने के लिए आवेदन आवेदक संघों द्वारा घरेलू उद्योग की ओर से व्यापार नोटिस 09/2021 के तहत किया गया था। आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा दायर किया गया था, जिसमें 18 संस्थाओं के डेटा थे। प्राधिकरण इस तथ्य से अवगत है कि 100 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) देश भर में संबंधित वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। प्राधिकरण ने यह पता लगाने की मांग की कि क्या 18 कंपनियों के आंकड़ों में देखे गए रुझान व्यापक उद्योग के प्रतिनिधि थे। इसके लिए, प्राधिकरण ने संघों से संबद्ध कंपनियों से अतिरिक्त डेटा का अनुरोध किया। आवेदक ने 22 और संस्थाओं के संक्षिप्त क्षति डेटा प्रस्तुत किए हैं। इस 22 कंपनियों के विस्तारित आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि सभी प्रमुख आर्थिक मानक 18 कंपनियों के शुरुआती आंकड़ों में पहचाने गए रुझानों से मेल खाते हैं। भारत में एमएसएमई क्षेत्र के भीतर बड़ी संख्या में उत्पादकों की उपस्थित के कारण संबंधित वस्तुओं का निर्माण होता है, और बड़ी मात्रा में डेटा को संभालने में शामिल जटिलता के कारण, प्राधिकरण ने वर्तमान जांच में नमूने का विकल्प चुना।
- XVII. प्राधिकरण ने नमूना लिए गए घरेलू उत्पादकों से आवश्यक सीमा तक और सूचना मांगी। नमूना घरेलू उत्पादकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन वर्तमान जांच के उद्देश्य के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था। प्राधिकरण ने वर्तमान मामले में अपने विश्लेषण में नमूनाकृत घरेलू उत्पादकों के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।

- XVIII. प्राधिकरण ने अन्य इच्छुक पाटयों से आवश्यक सीमा तक और सूचना मांगी। अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रदान किए गए डेटा का सत्यापन वर्तमान जांच के उद्देश्य के लिए आवश्यक समझी जाने वाली सीमा तक आयोजित किया गया था। प्राधिकरण ने वर्तमान मामले में अपने विश्लेषण में इच्छुक पार्टियों के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।
- XIX. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार और आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) और एडी नियम, 1995 के अनुलग्नक III के अनुसार भारत में संबंधित वस्तुओं को बनाने और बेचने के लिए उत्पादन की इष्टतम लागत और लागत के आधार पर गैर-हानिकारक मुल्य निर्धारित किया गया है।
- XX. नियमों के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकरण ने इच्छुक पक्षों को 10 जून 2024 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षों से मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों की लिखित प्रस्तुतियाँ दर्ज करने का अनुरोध किया गया था, इसके बाद प्रत्युत्तर प्रस्तुतियाँ दी गई।
- XXI. इच्छुक पक्षों द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, उठाए गए तर्क और जांच के दौरान विभिन्न इच्छुक पक्षों द्वारा प्रदान की गई जानकारी, जिस हद तक साक्ष्य के साथ समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक मानी जाती हैं, इस अंतिम निष्कर्ष में प्राधिकरण द्वारा उचित रूप से विचार किया गया है।
- XXII. प्राधिकरण ने जांच के दौरान इच्छुक पक्षों द्वारा दी गई सूचना की सटीकता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट किया जो संभव सीमा तक इस अंतिम निष्कर्ष का आधार बनता है और प्रासंगिक, व्यवहार्य तथा आवश्यक समझी जाने वाली सीमा तक घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/दस्तावेजों का सत्यापन किया।
- XXIII. गोपनीयता दावों की पर्याप्तता के संबंध में इच्छुक पार्टियों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई जानकारी की जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकरण ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है, जहां भी आवश्यक है, और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है और अन्य इच्छुक पार्टियों को खुलासा नहीं किया गया है। जहां भी संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षों को निर्देश दिया गया कि वे गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त गैर-गोपनीय विवरण उपलब्ध कराएं
- XXIV. जहां कहीं भी किसी इच्छुक पक्ष ने जांच के दौरान पहुंच से इनकार कर दिया है, या अन्यथा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं की है, या जांच में काफी बाधा डाली है, प्राधिकरण ने ऐसे इच्छुक पक्षों को गैर-सहयोगी माना और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस प्रकटीकरण विवरण को दर्ज किया।
- XXV. जांच के आवश्यक तथ्यों वाला एक प्रकटीकरण बयान जो अंतिम निष्कर्षों का आधार बना है, इच्छुक पार्टियों को 15 जुलाई, 2024 को जारी किया गया था और इच्छुक पार्टियों को इस पर टिप्पणी करने के लिए 21 जुलाई, 2024 तक का समय दिया गया था। इच्छुक पक्षों से प्राप्त प्रकटीकरण विवरण की टिप्पणियों पर इस अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना में प्रासंगिक और गैर-दोहराव वाली सीमा तक विचार किया गया है।
- XXVI. इस अंतिम निष्कर्ष में *** गोपनीय आधार पर एक इच्छुक पार्टी द्वारा प्रस्तुत जानकारी का प्रतिनिधित्व करता है, और इसलिए नियमों के तहत प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाता है।
- XXVII. विषयगत अन्वेषण के लिए प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 US\$ = ₹ 81.06 है।
- ग. विचाराधीन उत्पाद का दायरा और समान वस्तु
- ग1. अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रस्तुतियाँ
- 4. इच्छुक पक्षों में से एक ने प्राधिकरण से मूल सीवीडी जांच [एफ संख्या 6/22/2018-डीजीएडी दिनांक 31 जुलाई, 2019] में विचार किए गए पीसीएन को अपनाने का अनुरोध किया, जो चल रही पाटन रोधी जांच में विषय

वस्तुओं पर नीचे दिए गए हैं

- क) 200 श्रृंखला
- ख) 300 श्रृंखला
- ग) 400 श्रृंखला
- 5. कुछ इच्छुक पाटयों ने आवेदक उद्योग की जांच के विलम्बित चरण में पीसीएन को संशोधित करने अथवा निम्नलिखित कारणों पर विचार करते हुए मूल्यों में समायोजन करने की मांग को स्वीकार न करने का अनुरोध किया है
 - I.पीसीएन को आवेदक उद्योग द्वारा अपने आवेदन में किए गए अनुरोध के अनुसार अधिसूचित किया गया था।
 - II.इस बात से पूर्णत अवगत होने के बावजूद कि क्षति की अवधि के दौरान संबंधित देशों से ग्रेड की विषय वस्तुओं का भी आयात किया गया था, आवेदक उद्योग ने गे्रड-वार पीसीएन बनाने का अनुरोध नहीं किया है क्योंकि उन्हें इस बात की पूरी जानकारी थी कि गे्रड का आयात बहुत कम मात्रा में किया जाता है और इसलिए शुल्क निर्धारण पर इसका कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ेगा।
 - III. माननीय प्राधिकरण ने डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 24 और पाटनरोधी नियम, 1995 के अनुबंध-I, अनुछेद 6 के संदर्भ में उचित तुलना करने के लिए पीसीएन पर टिप्पणियां देने के लिए सभी इच्छुक पाटयों को पूर्ण अवसर प्रदान किया था। आवेदक उद्योग सहित सभी इच्छुक पाटयों के प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद प्राधिकरण द्वारा पीसीएन अधिसूचित किए गए थे।
 - IV.आवेदक उद्योग एक घुमावदार मार्ग के माध्यम से उसी तर्क को उत्तेजित करने का प्रयास कर रहा है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह पीसीएन पद्धित है जो डब्ल्यूटीओ समझौते के अनुच्छेद 2.4 और पाटन रोधी नियम, 1995 के अनुलग्नक I, अनुछेद 6 के संदर्भ में निष्पक्ष तुलना सुनिश्चित करने के लिए तंत्र है। रिकार्ड के रूप में, प्राधिकरण ने सभी स्टेकहोल्डरों से परामर्श करने के बाद पीसीएन निर्धारित करके उसी पद्धित का अनुसरण किया है। इसके अलावा, पीसीएन सुनिश्चित करते समय, संबंधित वस्तुओं की लागत और मूल्य पर प्रभाव डालने वाले सभी भौतिक मानदंडों को आवेदक उद्योग सहित इच्छुक पाटयों द्वारा दायर टिप्पणियों के आधार पर उचित मूल्य तुलनीयता सुनिश्चित करने के लिए पीसीएन में विधिवत रूप से शामिल किया जाता है।
 - V.इच्छुक पाटयों को प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित पीसीएन पर विचार करते हुए अपने उत्तर दाखिल करने के लिए कहा गया था। इससे इच्छुक पाटयों को आवेदक उद्योग की आवश्यकता के अनुरूप पीसीएन के नए सेट के आधार पर पुन उत्तर दाखिल करने में अनुचित कठिनाई होगी।
 - VI.समान पीसीएन को मूल के साथ-साथ एसएसआर सीवीडी जांच में भी अपनाया गया था।
 - VII.जे3 और 304 भारत को निर्यात किए जाने वाले मुख्य ग्रेड हैं। अन्य ग्रेड विषय देशों से संबंधित वस्तुओं के कुल आयात में 5% से भी कम हैं, जैसा कि आवेदक उद्योग द्वारा अपने संशोधित आवेदन दिनांक 05 जून, 2024 में साझा की गई जानकारी से स्पष्ट है।
 - VIII.चीन, जन गण, यूरोपीय संघ (ईयू), जापान और रूस में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित भारत में एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडीन रबड़ (एनबीआर) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच सहित अनेक जांचों में पीसीएन अथवा पीसीएन में संशोधन अथवा विलम्बित अवस्था में मूल्य में समायोजन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाता है।
 - IX.सीएसई टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड ने प्रस्तुत किया है कि, वे एएसएमई बीपीई, डीआईएन, 3 ए, बीएस और एसएमएस मानकों के लिए वेल्डेड ट्यूबों के अधिकृत निर्माता हैं, जो वैश्विक स्तर पर दवा, जैव प्रौद्योगिकी और खाद्य उद्योगों में उपयोग किए जाते हैं। इन उद्योगों में उनके महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के कारण भारत में इन मानकों का उत्पादन नहीं किया जाता है। इसके अलावा, एएसएमई बीपीई ग्रेड स्टेनलेस स्टील ट्यूब सामग्री

पारंपरिक एसएस 316 एल से बेहतर है, जो जीवन रक्षक दवाओं, टीकों, सड़न रोकनेवाला तरल खाद्य उत्पादों और लंबे जीवन पैक खाद्य पदार्थों में गुणवत्ता और अखंडता सुनिश्चित करती है। इसलिए, इन ग्रेड को पीयूसी के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए.

ग 2. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ

- 6. विचाराधीन अथवा इसी प्रकार के लेख के दायरे के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियां दी गई हैं।
 - क. विचाराधीन उत्पाद वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब है। विषय वस्तुएं 200, 300 और 400 श्रृंखलाओं से बनी होती हैं। तदनुसार, प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर पीसीएन का प्रस्ताव किया गया है।
 - ख. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विषय वस्तुएं विचाराधीन देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान होती हैं।
 - ग. मौखिक सुनवाई के बाद प्रस्तुतियों में, आवेदक उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि पीसीएन के विभिन्न ग्रेडों में आगे विभाजन करने या वैकल्पिक रूप से, निष्पक्ष तुलना के लिए समायोजन करने की आवश्यकता है।
 - घ. विचाराधीन उत्पाद के दायरे से एएसएमई प्रमाणित ट्यूबों को बाहर करने की कोई आवश्यकता नहीं है

ग 3. प्राधिकरण द्वारा समीक्षा

- 7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद वेल्डेड स्टेनलेस स्टील ट्यूब और पाइप है। विचाराधीन उत्पाद स्टेनलेस स्टील शीट, स्केलप, कॉइल या प्लेटों का उपयोग करके निर्मित किया जाता है। कच्चे माल को आवश्यक आकार में बनाया जाता है और उपयुक्त वेल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से वेल्डेड किया जाता है।
- 8. विचाराधीन उत्पाद को टैरिफ कोड 7306 40 00, 7306 61 00 और 7306 69 00 के तहत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अध्याय 73 के तहत वर्गीकृत किया गया है। घरेलू उद्योग ने सूचित किया है कि संबंधित वस्तुओं का आयात एचएस कोड 7304 11 10, 7304 11 90, 7304 41 00, 7304 51 10, 7304 90 00, 7305 11 29, 7305 90 99, 7306 11 00, 7306 21 00, 7306 29 19, 7306 30 90, 7306 50 00, 7306 90 11, 7306 90 19 और 7306 90 90. सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
- 9. इच्छुक पाटयों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर प्राधिकरण ने डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 24 और पाटनरोधी नियम, 1995 के अनुबंध-I, अनुछेद 6 के संदर्भ में उचित तुलना के लिए पीसीएन पद्धित को अपनाना उपयुक्त समझा। प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित पीसीएन को अंतिम रूप दिया गया।

क्र.सं.	पीसीएन पैरामीटर (स्टील का ग्रेड)	कोड
1.	200 श्रृंखला	2एस
2.	300 श्रृंखला	3एस
3.	400 श्रृंखला	4एस

10. प्राधिकरण नोट करता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विषय वस्तुएं और संबंधित देशों से आयातित वस्तुएं भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन और माल के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। उपभोक्ता दोनों का परस्पर उपयोग कर रहे हैं। इसे देखते हुए, प्राधिकरण का मानना है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं संबंधित देशों से आयात किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद की वस्तु की तरह हैं।

- 11. जहां तक उचित तुलना के लिए मूल्य में समायोजन करने के आवेदकों के अनुरोध का संबंध है, प्राधिकरण नोट करता है कि आवेदकों सिहत इच्छुक पाटयों को पीयूसी के दायरे पर अपनी टिप्पणियां प्रदान करने और उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) का प्रस्ताव करने का अवसर दिया गया था, यदि आवश्यक हो, तो डब्ल्यूटीओ समझौते के अनुच्छेद 2.4 और अनुलग्नक I के संदर्भ में उचित तुलना के लिए, (ग) गैर-गोपनीय आवेदन के परिचालन की तारीख से 15 दिनों की अविध के भीतर पाटनरोधी नियम, 1995 के अनुछेद 6 के तहत पाटनरोधी नियम, 1995 के अनुछेद 6 का प्रावधान किया गया है। इच्छुक पार्टियों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करने के बाद, पीसीएन को 15 अप्रैल, 2024 के नोटिस द्वारा अधिसूचित किया गया था। इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाता है कि J3 (200 शृंखला) और 304 (300 शृंखला) भारत को निर्यात किए जाने वाले मुख्य ग्रेड हैं। अन्य ग्रेड विषय देशों से विषय वस्तुओं के कुल आयात में 5% से भी कम हैं, जैसा कि आवेदक उद्योग द्वारा 05 जून, 2024 की संशोधित क्षति की जानकारी में साझा की गई जानकारी से स्पष्ट है। यह भी नोट किया जाता है कि संबंधित वस्तुओं के आयात के विरुद्ध मूल और एसएसआर सीवीडी जांच में भी आवेदकों द्वारा प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित पीसीएन का अनुरोध किया गया था। इसलिए प्राधिकरण ने प्राधिकरण द्वारा पहले से अधिसूचित पीसीएन में कोई मूल्य समायोजन/संशोधन नहीं किया है।
- 12. सीएसई टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड ने 10 जून 2024 को आयोजित मौखिक सुनवाई के दौरान दावा किया कि उनके द्वारा उत्पादित और बेचे जाने वाले उत्पाद एएसएमई प्रमाणित हैं विशेष उत्पाद जो भारत में उत्पादित नहीं होते हैं। निर्माता ने यह भी दावा किया कि इस तरह के उत्पाद की कीमत विचाराधीन उत्पाद के अन्य ग्रेड की तुलना में 6 से 10 गुना अधिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे से इसे बाहर रखने का अनुरोध किया है। प्राधिकरण नोट करता है कि सीएसई टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड ने दीक्षा नोटिस में निर्धारित समय-सीमा के अनुसार न तो पीयूसी/पीसीएन पर टिप्पणी दायर की थी और न ही प्रश्नावली का जवाब दायर किया था। इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाता है कि इस मुद्दे को प्राधिकरण द्वारा पहले ही चीन और वियतनाम से आयात पर लगाए गए सब्सिडी विरोधी शुल्क की मध्याविध समीक्षा जांच में जारी विषय वस्तुओं पर अपने निष्कर्षों में निपटाया जा चुका है [F. No. 7/45/2020-DGTR] दिनांक 8 फरवरी 2022 जिसमें प्राधिकरण ने माना कि ASME-BPE प्रमाणन उत्पादन प्रक्रिया-आधारित प्रमाणन है। एएसएमई-बीपीई प्रमाणपत्र किसी उत्पाद के विनिर्देशों से संबंधित नहीं है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे से ऐसे उत्पाद को बाहर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे देखते हुए, प्राधिकरण नोट करता है कि एएसएमई प्रमाणित ट्यूबों के लिए कोई बहिष्करण वारंट नहीं है।
- 13. प्राधिकरण अपने समक्ष प्रस्तुत सभी मुद्दों पर विचार करते हुए यह मानता है कि विषयगत जांच में पीयूसी वेल्डेड स्टेनलेस स्टील ट्यूब और पाइप है जिसका विनिर्माण स्टेनलेस स्टील शीट, स्केलप, कॉइल या प्लेटों का उपयोग करके किया जाता है। इस जांच के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित पीसीएन को अंतिम रूप दिया गया था:

क्र.सं.	पीसीएन पैरामीटर (स्टील का ग्रेड)	कोड
1.	200 श्रृंखला	2एस
2.	300 श्रृंखला	3एस
3.	400 श्रृंखला	4एस

घ. घरेलू उद्योग और स्थिति

घ1. अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रस्तुतियाँ

14. घरेलू उद्योग और स्थिति के संबंध में अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियां दी गई हैं।

- क. घरेलू उद्योग का गठन करने वाले घरेलू उत्पादकों में से किसी ने भी व्यापार सूचना 09/2021 के अनुसार अनुलग्नक II दायर नहीं किया है। तदनुसार, वर्तमान जांच को तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए।
- ख. प्राधिकरण घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत उत्तर को स्वैच्छिक रूप से स्वीकार नहीं कर सकता है क्योंकि ऐसे निर्माता वे हो सकते हैं जिनकी बिक्री लागत अधिक है और जिन्हें आंतरिक कारणों से नुकसान हो रहा है। व्यापार सूचना 09/2021 निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सांख्यिकीय रूप से मान्य तकनीकों के आधार पर नमूना चयन निर्धारित करती है।

घ 2. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ

- 15. घरेलू उद्योग और स्थिति के संबंध में आवेदकों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं:
 - क. आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से स्टेनलेस स्टील पाइप एंड ट्यूब्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, नई दिल्ली और स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, गुजरात द्वारा ट्रेड नोटिस 09/2021 के तहत दायर किया गया है।
 - ख. भारतीय उद्योग 100 से अधिक उत्पादकों से बना है। आवेदक संघों के 40 सदस्यों ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से डेटा दायर किया है।
 - ग. आवेदक घरेलू उत्पादकों का कुल भारतीय उत्पादन में 25% से अधिक का योगदान था।
 - घ. आवेदन दाखिल करने के समय, 18 निर्माताओं ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से अपने डेटा प्रस्तुत किए। आवेदन दायर करने के चरण में उक्त घरेलू उत्पादकों का कुल भारतीय उत्पादन में 25% से अधिक का योगदान था। आवेदन दाखिल करने के बाद, 22 अन्य घरेलू उत्पादकों ने प्रासंगिक जानकारी प्रदान की। उक्त 40 घरेलू उत्पादकों का भारत में कुल घरेलू उत्पादन में 50% से अधिक हिस्सा है।
 - ङ. आवेदक घरेलू उत्पादकों ने विचाराधीन उत्पादों का आयात संबंधित देशों से नहीं किया है और वे किसी निर्यातक/आयातक से संबंधित नहीं हैं।
 - च. कुल भारतीय उत्पादन का निर्धारण जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड ("जेएसएसएल") द्वारा अनुमानित विषय वस्तुओं के उत्पादन के लिए आपूर्ति किए गए कच्चे माल के आधार पर किया गया है, जो घरेलू मांग के लगभग ***% को पूरा करने वाले अपस्ट्रीम उत्पाद के सबसे बड़े भारतीय उत्पादकों में से एक है।
 - छ. पांच नमूना उत्पादकों के साथ-साथ सात अन्य उत्पादकों ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से पूर्ण लागत डेटा दायर किया है। प्राधिकरण अपने सूक्ष्म विश्लेषण के लिए किसी भी स्वयंसेवी निर्माता को जोड़ने का विकल्प चुन सकता है।

घ 3. प्राधिकरण द्वारा समीक्षा

- 16. वर्तमान जांच शुरू करने के लिए आवेदन व्यापार सूचना 09/2021 के तहत भारत में संबंधित वस्तुओं के उत्पादकों के दो पंजीकृत संघों द्वारा दायर किया गया है। घरेलू उद्योग की ओर से स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, नई दिल्ली और स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, गुजरात द्वारा आवेदन दायर किया गया है।
- 17. प्राधिकरण नोट करता है कि वर्तमान जांच में एमएसएमई सेगमेंट में निर्माता शामिल हैं। विषय वस्तुओं का निर्माण करने वाला भारतीय उद्योग प्रकृति में खंडित है और भारत में विषय वस्तुओं के 100 से अधिक उत्पादक हैं।
- 18. आवेदकों ने प्रस्तुत किया है कि चूंकि भारत में कई उत्पादक हैं, इसलिए उनके पास भारत में संबंधित वस्तुओं के कुल उत्पादन तक पहुंच नहीं है। कुल भारतीय उत्पादन निर्धारित करने के लिए, प्राधिकरण ने जिंदल स्टेनलेस स्टील

लिमिटेड ("जेएसएसएल") द्वारा दायर जानकारी पर भरोसा किया है। रिकॉर्ड पर दी गई जानकारी के अनुसार, जेएसएसएल भारत में संबंधित वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, अर्थात, स्टेनलेस स्टील कॉइल। जेएसएसएल भारत में कच्चे माल की मांग के बाजार हिस्से का लगभग ***% हिस्सा है। जांच की अविध के दौरान जेएसएसएल ने भारत में *** मीट्रिक टन कच्चे माल की आपूर्ति की है। कुल भारतीय उत्पादन निर्धारित करने के लिए, प्राधिकरण ने 1.05 के मानक इनपुट आउटपुट मानदंड (एसआईओएन) पर विचार किया है।

विवरण		मात्रा (MT)
जिंदल द्वारा आपूर्ति की गई कोइल	ए	***
दूसरों द्वारा आपूर्ति की गई कोइल	बी = ए/70%*30%	***
कुल कोइल की आपूर्ति	सी = ए + बी	***
अनुमानित भारतीय उत्पादन*	डी = सी/1.05	***
श्रेणी		2,50,000-3,50,000

^{*}खपत मानदंड 1.05

- 19. पाटन रोधी शुल्क नियमों के नियम 2 (बी) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है:
 - "(ख) "घरेलू उद्योग" से वे घरेलू उत्पादक अभिप्रेत हैं जो संपूर्ण रूप से ऐसी वस्तु के विनिर्माण में लगे हुए हैं और उनसे संबंधित कोई कार्यकलाप या वे जिनके उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा अनुपात है, सिवाय इसके कि जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों या स्वयं उसके आयातक हों, ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" का यह अर्थ लगाया जा सकेगा कि बाकी निर्माताओं का जिक्र करते हुए।
- 20. प्राधिकरण नोट करता है कि संघों ने घरेलू उत्पादकों की ओर से काम किया है। आवेदक घरेलू उत्पादक (चालीस) भारत में कुल घरेलू उत्पादन का 50% से अधिक हिस्सा हैं। उसी के मद्देनजर, यह नोट किया जाता है कि आवेदक नियम 2 (बी) के अर्थ के भीतर 'घरेलू उद्योग' का गठन करते हैं और आवेदन नियमों के नियम 5 (3) के संदर्भ में खड़े होने के मानदंडों को पूरा करता है।
- 21. अन्य इच्छुक पार्टियों ने तर्क दिया है कि कुछ उत्पादकों द्वारा स्वेच्छा से प्रस्तुत डेटा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे डेटा विरूपण हो सकता है। प्राधिकरण नोट करता है कि जब उत्पादकों की संख्या बड़ी होती है और ये उत्पादक एमएसएमई और खंडित होते हैं, तो नियम जांच की सुविधा के लिए नमूना तकनीकों के उपयोग की अनुमित देते हैं। सीमित समय सीमा के भीतर 100 विभिन्न उत्पादकों के डेटा का आकलन, विश्लेषण और सत्यापन करना व्यावहारिक रूप से असंभव है। इस मामले में नियोजित नमूना तकनीक ने उन उत्पादकों का चयन करने के लिए विभिन्न सांख्यिकीय विशेषताओं का उपयोग किया जिनके डेटा उद्योग की समग्र स्थिति को सटीक रूप से दर्शाते हैं। इस विवाद के बारे में कि घरेलू उत्पादकों द्वारा स्वेच्छा से प्रस्तुत आंकड़ों की अवहेलना की जानी चाहिए, प्राधिकरण नोट करता है कि आवेदक उत्पादकों द्वारा हेरफेर के जोखिम को कम करने के लिए एक सांख्यिकीय रूप से वैध नमूना तकनीक लागू की गई है। इसके अलावा, किसी भी इच्छुक पार्टियों द्वारा केवल आरोपों के अलावा, यह साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है कि घरेलू उत्पादकों द्वारा स्वेच्छा से प्रस्तुत डेटा हेरफेर है। किसी भी स्थिति में, प्राधिकरण ने नमूना उत्पादकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अधार पर अपनी जांच और विश्लेषण किया है।

ङ. गोपनीयता

ड1. अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रस्तुतियाँ

- 22. गोपनीयता के संबंध में अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं।
 - क. आवेदक संघों ने व्यापार नोटिस 09/2021 की आवश्यकता के अनुसार दस्तावेज दाखिल नहीं किए हैं। यदि ऐसे दस्तावेज दायर किए गए हैं, तो मौखिक सुनवाई के अवसर के साथ अन्य इच्छुक पार्टियों को प्रदान किया जा सकता है।
 - ख. आवेदकों ने बिक्री मूल्य के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, जांच का समर्थन या विरोध करने वाले संघों के सदस्यों की सूची को गोपनीय बताया गया है। ट्रेड नोटिस 10/2018 के अनुसार, घरेलू उद्योग को कई उत्पादकों के मामले में वास्तविक जानकारी का खुलासा करना होगा। गोपनीयता स्वतः नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन इसकी पूरी तरह से जांच की आवश्यकता है जैसा कि स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड बनाम नामित प्राधिकारी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित किया गया था।
 - ग. ईसी में अपीलीय निकाय द्वारा आयोजित गोपनीयता का दावा करने के लिए आवेदकों को अच्छा कारण दिखाना चाहिए चीन से कुछ लौह या इस्पात फास्टनरों। प्राधिकरण घरेलू उद्योग को स्पष्ट फ्लोट ग्लास पर जांच में दिए गए निर्देश के अनुसार याचिका का उचित गैर-गोपनीय संस्करण दायर करने का निर्देश दे सकता है।

ड 2. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ

- 23. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियां दी गई हैं
 - क. सहयोग करने वाले उत्पादकों/निर्यातकों ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
 - ख. अन्य इच्छुक पार्टियों के विवाद के विपरीत, संघों के दस्तावेजों का खुलासा नहीं किया जा सकता क्योंकि उनमें व्यावसायिक मालिकाना जानकारी होती है जिसे अन्य इच्छुक पार्टियों के साथ साझा नहीं किया जा सकता है।
 - ग. अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा गोपनीयता पर दायर की गई टिप्पणियां विलम्बित प्रकृति की हैं क्योंकि ये याचिका के गैर-गोपनीय संस्करण के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के बाद दायर की गई हैं।
 - घ. जबिक आवेदकों ने मात्रा मापदंडों के संबंध में समग्र वास्तविक जानकारी का खुलासा किया है, मूल्य पैरामीटर गोपनीय व्यवसाय संवेदनशील जानकारी है, जिसके प्रकटीकरण से प्रतिस्पर्धियों को अनुचित लाभ मिलेगा।

ड 3. प्राधिकरण द्वारा समीक्षा

- 24. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी शुल्क नियमावली के नियम 8 में निम्नानुसार प्रावधान है
 - "(1) नियम 6 के उपनियम (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (1) के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में किसी बात के होते हुए भी, नियम 5 के उपनियम (1) के अधीन प्राप्त आवेदनों की प्रतियां, या अभिहित प्राधिकारी को उपलब्ध कराई गई कोई अन्य जानकारी जांच के दौरान किसी भी पार्टी द्वारा गोपनीय आधार पर, नामित प्राधिकारी को उसकी गोपनीयता के बारे में संतुष्ट होने पर, उसके द्वारा ऐसा माना जाएगा और पार्टी के विशिष्ट प्राधिकरण के बिना किसी अन्य पार्टी को ऐसी कोई जानकारी प्रदान करना।
 - (2) अभिहित प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षों से उसका गैर-गोपनीय सारांश प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा और यदि, ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्ष की राय में, ऐसी जानकारी सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, तो ऐसी पार्टी नामित प्राधिकारी को उन कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकती है

कि संक्षेपण संभव क्यों नहीं है।

- (3) उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि अभिहित प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध वांछित नहीं है या सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने के लिए अनिच्छुक है या अधिकृत करने के लिए सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसका प्रकटीकरण, यह ऐसी जानकारी की अवहेलना कर सकता है।
- 25. गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में इच्छुक पक्षों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई जानकारी की जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकरण ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है, जहां भी आवश्यक है और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है और अन्य इच्छुक पार्टियों को खुलासा नहीं किया गया है। जहां कहीं संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त गैर-गोपनीय विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। प्राधिकरण ने विभिन्न इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराया और इच्छुक पक्षों को ई-मेल के माध्यम से एक दूसरे के साथ प्रस्तुतियों के गैर-गोपनीय संस्करण को साझा करने का निर्देश दिया।
- 26. अन्य इच्छुक पार्टियों ने तर्क दिया है कि आवेदकों ने संघों के दस्तावेजों को साझा नहीं किया है। प्राधिकरण नोट करता है कि संघों के दस्तावेजों में बैठकों के कार्यवृत्त, एसोसिएशन के उप-नियमों के साथ-साथ एसोसिएशन का ज्ञापन भी शामिल है जिसमें व्यवसाय स्वामित्व की जानकारी शामिल है और अन्य इच्छुक पार्टियों को खुलासा नहीं किया जा सकता है।
- 27. आवेदकों ने आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण में वॉल्यूम मापदंडों के संबंध में वास्तविक समग्र जानकारी प्रदान की है। प्राधिकरण नोट करता है कि आवेदकों ने गोपनीय व्यावसायिक स्वामित्व जानकारी के रूप में मूल्य जानकारी का दावा किया है। प्राधिकरण नोट करता है कि चूंकि भारत में कई उत्पादक समान कीमतों पर एक ही बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, इसलिए औसत सकल कीमतों के प्रकटीकरण से आवेदक घरेलू उत्पादकों का भारत में अन्य उत्पादकों को अनुमानित बिक्री मूल्य भी मिलेगा। ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण से अन्य इच्छुक पार्टियों को अनुचित लाभ मिलेगा। तदनुसार, प्राधिकरण ने ऐसी सूचना पर गोपनीयता के दावे को स्वीकार कर लिया है। आवेदकों ने इस तरह की गोपनीयता के लिए आवेदन में एक विस्तृत अच्छा कारण विवरण प्रदान किया है।

च. विविध मुद्दे

च 1. अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रस्तुतियाँ

- 28. आवेदक उद्योग द्वारा किया गया यह दावा कि वियतनाम और थाईलैंड में कच्चे माल की कीमतें इन बाजारों में प्रचिलत विशेष बाजार स्थिति के कारण कम बताई गई हैं, और इसलिए, उत्पादन लागत के निर्धारण के लिए कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर विचार किया जाना चाहिए, निम्नलिखित कारणों से पूरी तरह से गलत है
 - क) मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत बुनियादी सीमा शुल्क के बिना वियतनामी और थाईलैंड उत्पादकों द्वारा कच्चे माल का आयात विश्व व्यापार संगठन समझौते के अनुच्छेद 2.2 और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 ए (1) (सी) (ii) के संदर्भ में एक विशेष बाजार की स्थिति नहीं है, जैसा कि निम्नलिखित कारणों से स्पष्ट है:
 - घरेलू और भारतीय दोनों बाजारों में बेची जाने वाली विषय वस्तुओं के निर्माण में एक ही कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। घरेलू बिक्री और भारतीय बाजार में बिक्री मूल्य की मूल्य तुलनात्मकता प्रभावित नहीं हुई है।
 - एक भी ऐसा मामला उद्धृत नहीं किया गया है जिसमें एफटीए के अंतर्गत शुल्क मुक्त कच्चे माल के आयात को बाजार विशेष स्थिति के अस्तित्व के लिए आधार माना गया हो।
 - आवेदक उद्योग ने एफटीए के अंतर्गत मूल और एसएसआर सीवीडी जांच में वियतनामी

उत्पादकों के विरुद्ध मूल सीमा शुल्क के बिना कच्चे माल के आयात का मुद्दा उठाया है। हालांकि, प्राधिकरण ने उनके दावे को स्वीकार नहीं किया था।

- ख) उपर्युक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक उद्योग द्वारा यह दर्शाने के लिए कोई निवेदन नहीं किया गया है कि एफटीए के अंतर्गत मूल सीमा शुल्क के बिना आयातित कच्चे माल के उपयोग से घरेलू और भारतीय बाजार में की गई बिक्री की मूल्य तुलनीयता प्रभावित हुई है।
- ग) पाटन रोधी नियम, 1995 के अनुलग्नक 1 के अनुच्छेद 2.2.1.1 और अनुछेद नंबर 1 में प्रयुक्त शब्द "सामान्य" का अर्थ है कि लागत की गणना सामान्य रूप से निर्यातक या निर्माता द्वारा जांच के तहत रखे गए रिकॉर्ड के आधार पर की जाएगी और ऐसे रिकॉर्ड निर्यातक देश के आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार हैं और विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री से जुड़ी लागतों को यथोचित रूप से दर्शाते हैं। उत्तरदाताओं द्वारा दावा की गई लागत उनके रिकॉर्ड पर आधारित है, जो उनके जीएएपी के अनुसार बनाए रखी जाती है।
- घ) जहां तक आवेदक उद्योग द्वारा किए गए इस दावे का संबंध है कि प्राधिकरण ने चीन और इंडोनेशिया से संबंधित देशों द्वारा आयातित कच्चे माल पर सब्सिडी पाई है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक उद्योग ने वियतनामी उत्पादकों के विरुद्ध मूल और एसएसआर सीवीडी जांच में एक ही विषय वस्तुओं पर यही मुद्दा उठाया था। हालांकि, प्राधिकरण ने उनके दावे को सही तरीके से स्वीकार नहीं किया था। इसके अलावा, इस मुद्दे पर इस जांच में विचार नहीं किया जाएगा क्योंकि यह एडी समझौते / कानून के दायरे से बाहर है।
- ड.) आवेदक उद्योग के अताकक और बिना सोचे-समझे दिए गए तर्क को स्वीकार करने का अर्थ होगा कि भारत में विशेष बाजार स्थिति/सब्सिडी भी मौजूद है क्योंकि अधिकांश भारतीय उत्पादक भी एफटीए के तहत चीन जनगण अथवा अन्य देशों से मूल सीमा शुल्क के बिना संबंधित वस्तुओं सहित कच्चे माल का आयात कर रहे हैं।
- 29. थाईलैंड और वियतनाम में विशेष बाजार स्थिति के अस्तित्व का दावा करने के लिए आवेदक द्वारा उद्धृत निष्कर्षों के संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि ये गलत हैं क्योंकि किसी भी जांच प्राधिकरण ने एफटीए के तहत बुनियादी सीमा शुल्क के बिना कच्चे माल के आयात के कारण विशेष बाजार स्थिति का निष्कर्ष नहीं निकाला था।

च 2. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ

- 30. वियतनाम और थाईलैंड में कच्चे माल के मूल्यों को कम करके रखा गया है क्योंकि इन बाजारों में प्रचलित विशेष बाजार स्थिति के कारण इन देशों के उत्पादक एफटीए के तहत चीन और इंडोनेशिया से शुल्क मुक्त कच्चे माल का आयात कर रहे हैं। आगे। नामित प्राधिकारी ने पहले ही पाया है कि कच्चे माल के संबंध में चीन और इंडोनेशिया की सरकारों द्वारा महत्वपूर्ण सब्सिडी की अनुमित दी जा रही है। इसलिए, उत्पादन लागत के निर्धारण के लिए कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर विचार किया जाना चाहिए।
- 31. अनुच्छेद 2.2.1.1. पाटनरोधी करार में प्रावधान है कि संबंधित वस्तुओं के उत्पादन की लागत के निर्धारण के लिए प्राधिकरण को सामान्यत उत्पादक के रिकार्डों के आधार पर लागत की गणना करनी चाहिए, जहां ऐसे रिकार्ड देश के जीएएपी के अनुसार हों और उत्पादन से संबंधित लागतों को युक्तियुक्त रूप से प्रतिबिम्बित करें।

Α

च 3. प्राधिकरण द्वारा समीक्षा

32. आवेदकों ने दावा किया है कि वियतनाम और थाईलैंड में कच्चे माल की कीमतों को कम करके आंका गया है क्योंकि संबंधित देश चीन और इंडोनेशिया से कच्चे माल की खरीद कर रहे हैं, जहां विशेष बाजार स्थिति के कारण कच्चे माल की कीमतों पर सब्सिडी दी जाती है; इसलिए, उत्पादन लागत के निर्धारण के लिए कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर विचार किया जाना चाहिए। इस संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि एडी नियम, 1995 के अनुलग्नक- I के अनुछेद 1 में निम्नानुसार कहा गया है:

"सामान्य मूल्य के निर्धारण के संदर्भ में संदर्भित लागतों के तत्व आम तौर पर जांच के तहत निर्यातक या निर्माता द्वारा रखे गए रिकॉर्ड के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे, बशर्ते कि ऐसे रिकॉर्ड निर्यातक देश के आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार हों, और ऐसे रिकॉर्ड यथोचित रूप से विचाराधीन लेख के उत्पादन और बिक्री से जुड़ी लागत को दर्शाते हैं।

33. उपर्युक्त अनुछेद 32 को ध्यान में रखते हुए, उत्पादन लागत (सीओपी) की गणना संबंधित देशों के निर्यातक अथवा उत्पादक द्वारा रखे गए रिकार्डों के आधार पर की गई है, जो निर्यातक देश के आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का विधिवत पालन करते हैं और विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री से जुड़ी लागतों का युक्तियुक्त रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा, उत्पादन लागत (सीओपी) के निर्धारण का उद्देश्य एक आदर्श या उपयुक्त लागत के लक्ष्य के बजाय जांच अवधि (पीओआई) के दौरान एक विशिष्ट उत्पादक-निर्यातक द्वारा किए गए वास्तविक खर्चों का सही प्रतिनिधित्व करना है। यह जरूरी है कि सीओपी इन वास्तविक उत्पादन लागतों को प्रतिबिंबित करता है और सब्सिडी, यदि कोई हो, को ऑफसेट करने के लिए कृत्रिम रूप से वृद्धि नहीं करता है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन

छ 1. अन्य इच्छुक पार्टियों के विचार

- 34. अन्य इच्छुक पार्टियों ने सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और डंपिंग मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियां दी हैं:
 - उत्पादक/निर्यातक ने जांच में पूरा सहयोग किया है, मार्जिन दायर की गई प्रतिक्रिया के अनुसार निर्धारित किया
 जाना चाहिए और इसे एक व्यक्तिगत कर्तव्य प्रदान किया जा सकता है।
 - II. विषयगत वस्तुओं के अधिकांश भारतीय उत्पादक भी चीन जनगण से कच्चे माल का आयात करते हैं। लाभ के माध्यम से पारित होने के किसी भी दावे का मतलब होगा कि भारतीय उत्पादकों को चीन पीआर से आयातित कच्चे माल पर सब्सिडी भी मिल रही है।

छ 2. घरेलू उद्योग के विचार

- 35. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और डंपिंग माजन के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियां दी हैं:
 - I. स्टील 568 कं लि, सोन्हा एसएसपी वियतनाम सोल मेंबर कंपनी लि और टीवीएल के प्रत्युत्तर को अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि उनके प्रत्युत्तर में पूरी सूचना दर्ज नहीं की गई थी।
 - उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रासंगिक जानकारी को दबा दिया है और पूर्ण प्रतिक्रिया प्रदान करने में विफल रहे हैं,
 जिससे उनकी प्रतिक्रिया अस्वीकृति के लिए उपयुक्त है।

छ3. प्राधिकरण द्वारा समीक्षा

- 36. धारा 9 ए (1) (सी) के तहत, एक लेख के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है:
 - i) तुलनीय मूल्य, व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में, समान वस्तु के लिए, जब निर्यातक देश या क्षेत्र में उपभोग के लिए अभिप्रेत हो, जैसा कि उप-धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया गया है, या
 - ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में समान वस्तु की कोई बिक्री नहीं होती है, या जब विशेष बाजार की स्थिति या निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में बिक्री की कम मात्रा के कारण, ऐसी बिक्री उचित तुलना की अनुमति नहीं देती है, सामान्य मूल्य या तो होगा:
 - (क) उप-धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र या एक उपयुक्त तीसरे देश से निर्यात किए जाने पर समान लेख का तुलनीय प्रतिनिधि मूल्य; नहीं तो

(ख) मूल देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत के साथ-साथ प्रशासनिक, विक्रय और सामान्य लागतों के लिए युक्तियुक्त जोड़ और लाभों के लिए, जैसा कि उपधारा (6) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अवधारित किया गया है।

परन्तु मूल देश से भिन्न किसी देश से वस्तु के आयात की दशा में और जहाँ वस्तु को निर्यात देश के माध्यम से केवल ट्रांसशिप किया गया है या ऐसी वस्तु निर्यात के देश में उत्पादित नहीं की गई है या निर्यात के देश में कोई तुलनीय मूल्य नहीं है, सामान्य मूल्य मूल देश में इसकी कीमत के संदर्भ में अवधारित किया जाएगा।

- 37. प्राधिकरण नोट करता है कि संबंधित वस्तुओं के निम्नलिखित निर्यातकों ने निर्यातक की प्रश्नावली प्रतिक्रियाएं दायर की हैं: -
 - क. आई स्टेनलेस स्टील कं, लिमिटेड, थाईलैंड
 - ख. स्टील 568 कंपनी लिमिटेड, वियतनाम
 - ग. सोना एसएसपी वियतनाम कंपनी लिमिटेड, वियतनाम
 - घ. टीवीएल स्टील प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, वियतनाम
 - ङ. जिया अन्ह हंग येन कंपनी लिमिटेड, वियतनाम
 - च. ओएसएस दाईदुओंग इंटरनेशनल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, वियतनाम
- 38. टीवीएल के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि टीवीएल द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि टीवीएल ने वर्ष 2021-2022 में केवल *** मीट्रिक टन और जांच की अविध (पीओआई) के दौरान *** मीट्रिक टन का निर्यात किया, जो भारत में कुल आयात का ***% और ***% और भारत में कुल मांग का ***% है। इसके अलावा, यह नोट किया गया है कि भारत को निर्यात निर्दिष्ट अविधयों के दौरान टीवीएल के कुल उत्पादन का ***% है संबंधित देश से अन्य सहयोगी उत्पादकों द्वारा किए गए निर्यात की तुलना में संख्या और प्रतिशत दोनों में काफी कम आंकड़ा। यह आगे नोट किया गया है कि टीवीएल का तीसरा देश निर्यात *** मीट्रिक टन था, जो इसके कुल उत्पादन का केवल ***%, इसकी घरेलू विक्री का ***% और पीओआई के दौरान भारत में कुल आयात का ***% था।
- 39. चूंकि टीवीएल द्वारा भारत को निर्यात की गई मात्रा बहुत कम है, इसलिए प्राधिकरण को निर्यात मूल्य की गहन संवीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि वह स्वयं को आश्वस्त कर सके कि टीवीएल से सीमित निर्यातों का निर्यात मूल्य वास्तव में इसकी कीमत को दर्शाता है और यह संबंधित देश से आयात पर प्रचलित सब्सिडी-रोधी शुल्कों से प्रभावित नहीं हुआ है। खुद को फिर से आश्वस्त करने के लिए, प्राधिकरण ने टीवीएल के तीसरे देशों को निर्यात को देखा है। इस जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या तीसरे देशों को टीवीएल का निर्यात मूल्य भारत को इसके निर्यात मूल्य के बराबर था और इस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि इस तरह के निर्यात मात्रा के साथ टीवीएल का निर्यात मूल्य 'आर्म्स लेंथ आधार' पर है। हालांकि, तीसरे देशों को टीवीएल का निर्यात भी बहुत कम है जैसा कि अनुछेद नंबर 36 में बताया गया है।
- 40. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, प्राधिकरण निर्यात की इतनी कम मात्रा के साथ भारत में टीवीएल के निर्यात मूल्यों को स्वीकार करने में असमर्थ है, और इसलिए, शुल्क की व्यक्तिगत दर के अनुदान के लिए टीवीएल के दावे को खारिज कर दिया।
- 41. प्राधिकरण नोट करता है कि निर्यातक/निर्माता जिया अन्ह ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और ओएसएस दाई डुओंग इंटरनेशनल ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ने भाग लिया है और वर्तमान जांच में निर्यातक प्रश्नावली दायर की है। तथापि,

प्रत्युत्तर में यह परिलक्षित होता है कि उन्होंने पीओआई के दौरान भारत को वस्तु का कोई निर्यात नहीं किया है, जिसका सत्यापन डीजी सिस्टम्स डाटा से भी किया गया है। अत भारत को निर्यातों के अभाव में वियतनाम के इन दो निर्यातकों/उत्पादकों के लिए व्यक्तिगत क्षति और पाटन माजन निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, प्राधिकरण ने दोनों उत्पादकों को शुल्क की अलग-अलग दर प्रदान नहीं की है।

42. गलत और अपूर्ण प्रश्नावली के उत्तर को दायर करने के संबंध में, यह नोट किया गया है कि प्राधिकरण ने सहयोगी निर्माताओं द्वारा प्रदान की गई जानकारी को सत्यापित किया है और उनकी लेखा बहियों के साथ सहमित में पाया है। यह भी नोट किया जाता है कि स्टील 568 कंपनी लिमिटेड, वियतनाम और सोन्हा एसएसपी वियतनाम कंपनी लिमिटेड, वियतनाम के पास संबंधित वस्तुओं के विनिर्माण के लिए केवल एक संयंत्र है।

छ.3.1(क) वियतनाम के लिए सामान्य मूल्य

सहकारी उत्पादक - स्टील 568 कंपनी लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य

43. उत्पादक/निर्यातक ने जांच की अविध में *** मीट्रिक टन की घरेलू बिक्री की सूचना दी है। निर्माता ने दावा किया है कि सभी घरेलू बिक्री असंबंधित पार्टियों को की जाती है। निर्माता ने पूर्व-कार्य आधार पर घरेलू बिक्री का दावा किया है। प्राधिकरण ने व्यापार परीक्षण का सामान्य पाठ्यक्रम आयोजित किया। यह नोट किया जाता है कि उत्पादक व्यापार परीक्षण के सामान्य पाठ्यक्रम को अर्हता प्राप्त करने में सक्षम नहीं है और इसलिए, प्राधिकरण ने लाभदायक बिक्री लेनदेन के आधार पर वर्तमान मामले में सामान्य मूल्य निर्धारित करना उचित समझा है। प्राधिकरण ने डेस्क सत्यापन शुरू किया है और प्रतिवादी द्वारा किए गए दावों की जांच की है। किए गए और सत्यापित किए गए दावों को स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मान नीचे डंपिंग मार्जिन तालिका में दिया गया है।

सहकारी उत्पादक सोन्हा एसएसपी वियतनाम कंपनी लिमिटेड के लिए सामान्य मूल्य

44. उत्पादक/निर्यातक ने जांच की अविध में *** मीट्रिक टन की घरेलू बिक्री की सूचना दी है। उत्पादक ने दावा किया है कि घरेलू बिक्री की मामूली मात्रा मुख्य रूप से कैप्टिव खपत के लिए संबंधित पक्षों को की गई थी। उत्पादक ने अंतर्देशीय परिवहन आदि के कारण समायोजन का दावा किया है। प्राधिकरण ने व्यापार परीक्षण का सामान्य पाठ्यक्रम आयोजित किया। यह नोट किया जाता है कि उत्पादक व्यापार परीक्षण के सामान्य पाठ्यक्रम को अर्हता प्राप्त करने में सक्षम नहीं है और इसलिए, प्राधिकरण ने सभी लाभदायक बिक्री लेनदेन के आधार पर वर्तमान मामले में सामान्य मूल्य निर्धारित करना उचित समझा है। प्राधिकरण ने डेस्क सत्यापन शुरू किया है और प्रतिवादी द्वारा किए गए दावों की जांच की है। किए गए और सत्यापित किए गए दावों को स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मान नीचे डंपिंग मार्जिन तालिका में दिया गया है।

गैर-सहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य

45. वियतनाम के असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य नियमों के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे दी गई डंपिंग मार्जिन तालिका में किया गया है।

छ.3.1(ख) वियतनाम के लिए निर्यात मूल्य

सह-परिचालन निर्माता के लिए निर्यात मूल्य - स्टील 568 कंपनी लिमिटेड

46. उत्पादक ने जांच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के रूप में *** एमटी की सूचना दी है। उत्पादक ने दावा किया है कि उसने भारत को सीधे उत्पाद का निर्यात किया है और विचाराधीन उत्पाद के निर्यात में कोई अन्य संबंधित/असंबंधित पक्ष/पक्ष शामिल नहीं है। उत्पादक ने समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय परिवहन और अन्य शुल्कों के कारण समायोजन का दावा किया है।

47. प्राधिकरण ने डेस्क सत्यापन शुरू किया है और प्रतिवादी द्वारा किए गए दावों की जांच की है। प्रतिवादी द्वारा दावा किए गए समायोजन की अनुमित दी गई है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात मूल्य नीचे पाटन माजन तालिका में दिया गया है।

सह-संचालन निर्माता के लिए निर्यात मूल्य - सोन्हा एसएसपी वियतनाम कंपनी लिमिटेड

- 48. उत्पादक ने जांच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के रूप में *** एमटी की सूचना दी है। उत्पादक ने दावा किया है कि उसने भारत को सीधे उत्पाद का निर्यात किया है और विचाराधीन उत्पाद के निर्यात में कोई अन्य संबंधित/असंबंधित पक्ष शामिल नहीं है। उत्पादक ने समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय परिवहन और अन्य शुल्कों के कारण समायोजन का दावा किया है।
- 49. प्राधिकरण ने डेस्क सत्यापन शुरू किया है और प्रतिवादी द्वारा किए गए दावों की जांच की है। प्रतिवादी द्वारा दावा किए गए समायोजन की अनुमित दी गई है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात मूल्य नीचे पाटन माजन तालिका में दिया गया है।

गैर-सहयोगी उत्पादक के लिए निर्यात मूल्य

50. वियतनाम से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य का निर्धारण नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात मूल्य नीचे दी गई पाटन माजन तालिका में उल्लिखित है।

छ.3.2(क) थाईलैंड के लिए सामान्य मूल्य

सह-संचालन निर्माता के लिए सामान्य मूल्य - आई स्टेनलेस स्टील कं, लिमिटेड

51. उत्पादक ने अपने घरेलू बाजार में विषय वस्तुओं की बिक्री नहीं की है। निर्यातक ने अपनी उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। प्राधिकरण नोट करता है कि ऐसी स्थिति में जहां निर्यातक देश के घरेलू बाजार में व्यापार के सामान्य क्रम में समान वस्तु की बिक्री नहीं होती है, सामान्य मूल्य या तो निर्यातक देश या क्षेत्र से किसी उपयुक्त तीसरे देश को निर्यात किए जाने पर उसी वस्तु का तुलनीय प्रतिनिधि मूल्य होगा या मूल देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत के साथ-साथ प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत, और मुनाफे के लिए। अत प्राधिकरण ने वर्तमान मामले में निर्यातक द्वारा प्रस्तुत उत्पादन आंकड़ों की लागत जमा उचित लाभ माजन के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करना उचित समझा है। प्राधिकरण ने डेस्क सत्यापन शुरू किया है और प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दावों की जांच की है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मान नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

गैर-सहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य

52. थाइलैंड के असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमों के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे दी गई डंपिंग मार्जिन तालिका में किया गया है।

छ.3.2 (ख) थाईलैंड के लिए निर्यात मूल्य

सह-संचालन निर्माता के लिए निर्यात मूल्य - आई स्टेनलेस स्टील कं, लिमिटेड

- 53. उत्पादक ने जांच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के रूप में *** एमटी की सूचना दी है। उत्पादक ने दावा किया है कि उसने भारत को सीधे उत्पाद का निर्यात किया है और विचाराधीन उत्पाद के निर्यात में कोई अन्य संबंधित/असंबंधित पक्ष शामिल नहीं है। उत्पादक ने समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय परिवहन और अन्य शुल्कों के कारण समायोजन का दावा किया है।
- 54. प्राधिकरण ने डेस्क सत्यापन शुरू किया है और प्रतिवादी द्वारा किए गए दावों की जांच की है। प्रतिवादी द्वारा दावा किए गए समायोजन की अनुमति दी गई है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

गैर-सहयोगी उत्पादक के लिए निर्यात मूल्य

55. थाइलैंड से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य का निर्धारण नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात मूल्य नीचे दी गई पाटन माजन तालिका में उल्लिखित है।

छ.3.3 <u>पाटन मार्जिन</u>

56. ऊपर निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य के आधार पर, प्रतिभागी और गैर-प्रतिभागी उत्पादकों के लिए इंपिंग माजन निर्धारित किया गया है और नीचे दिखाया गया है।

क्र.सं.	विवरण	सामान्य मूल्य (यूएसडी/एमटी)	शुद्ध निर्यात मूल्य (यूएसडी/एमटी)	पाटन मार्जिन (यूएसडी/एमटी)	सीआईएफ (यूएसडी/एमटी)	पाटन मार्जिन (सीआईएफ मूल्य के आधार पर)	पाटन मार्जिन रेंज %	
-		(63	(63	(8)	(83,, 3,)			
1	वियतनाम							
क.	स्टील 568 कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	***	ऋणात्मक	
ख.	सोन्हा एसएसपी वियतनाम कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	***	डी- मिनिमिस	
ग.	कोई अन्य	***	***	***	***	***	10-20	***
2	थाईलैंड							
布.	आई स्टेनलेस स्टील कं, लिमिटेड	***	***	***	***	***	ऋणात्मक	
ख.	कोई अन्य	***	***	***	***	***	10-20	

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन

ज1. अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुतियाँ

- 57. पाटन, क्षति और कारण लिंक के संबंध में अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियां दी गई हैं:
 - क. आवेदक उद्योग ने मूल आवेदन में 18 भारतीय उत्पादकों की क्षति की सूचना दायर की थी। हालांकि, आवेदक उद्योग ने केवल 5 जून, 2024 को 40 भारतीय उत्पादकों की संशोधित क्षति की जानकारी दर्ज की है। हम प्राधिकरण से अनुरोध करते हैं कि आवेदन में इस तरह के कठोर परिवर्तनों की अनुमित न दें।
 - ख. घरेलू उद्योग को अधीन देशों से आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हुई है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्री, घरेलू बिक्री मूल्य, पीबीआईटी, नकद लाभ और निवेश पर आय में वृद्धि हुई है।
 - ग. प्रतिवादियों से आयात के कारण घरेलू उद्योग को कोई नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि उत्तरदाताओं का आयात मूल्य बढ़ गया है और जांच की अवधि के दौरान उच्चतम था।
 - घ. घरेलू उद्योग को जो नुकसान हुआ है, यदि कोई हो, तो वह केवल चीन से आयातों के कारण है। यह इस तथ्य

के कारण है कि चीनी आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को 30-40% तक कम कर रहे हैं।

- ङ. वियतनाम से आयात मूल्य में वृद्धि हुई है और यह अन्य देशों से आयात मूल्य की तुलना में बहुत अधिक है जो यह दर्शाता है कि निर्यातक सीमा शुल्क के अभाव में भी उचित कीमतों पर बिक्री कर रहे हैं।
- च. उन आयातों की उपेक्षा करना जहां आयात का उतरा हुआ मूल्य क्षति माजन के उद्देश्य से घरेलू उद्योग के गैर-हानिकारक मूल्य से अधिक है, शून्य करने का अर्थ है। यह अभूतपूर्व प्रस्ताव पूरी तरह से कानूनी प्रावधानों और क्षति मार्जिन के तंत्र के माध्यम से "कम शुल्क नियम" लागू करने के तर्क के खिलाफ है। यह उल्लेख करना असंगत नहीं होगा कि विश्व व्यापार संगठन के निर्णयों द्वारा मार्जिन गणना को डंप करने के उद्देश्य से भी "शून्य" को अवैध माना गया है।
- छ. संपूर्ण पाटनरोधी जांच और परिणामी सिफारिशें कानून के विशिष्ट अधिदेश के भीतर होनी चाहिए। यदि प्राधिकरण को किसी उत्पादक/निर्यातक के खिलाफ कोई पाटन/सब्सिडी या नुकसान नहीं मिलता है, तो यह कहना बेतुका होगा कि ऐसे निर्यातकों से आयात से घरेलू उद्योग की वसूली "कमजोर" हुई है।
- ज. भारतीय उद्योग ने मांग का ठीक से पूर्वानुमान नहीं लगाया है और अपनी क्षमता में असामान्य रूप से ***% की वृद्धि करने का गलत निर्णय लिया है, जिससे उनकी निश्चित लागत वेतन, ब्याज और अन्य निश्चित लागत में काफी वृद्धि हुई है।
- झ. बीआईएस संबंधित वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल (स्टील कॉइल) पर लागू होता है। तदनुसार, विषयगत वस्तुओं के भारतीय उत्पादकों को भारतीय उत्पादकों से उच्च (अप्रतिस्पर्धी) लागत पर कच्चा माल खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है क्योंकि या तो अधिकांश विदेशी उत्पादकों के पास बीआईएस लाइसेंस उपलब्ध नहीं है अथवा बीआईएस प्राधिकरण उनके लाइसेंस का नवीकरण नहीं कर रहा है। अधिकांश विदेशी उत्पादकों के नवीकरण के आवेदन पिछले 10-15 महीनों से लंबित हैं।

ज2. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ

- 58. पाटन और क्षति के कारण संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियां की गई हैं
 - क. वियतनाम से आयात में निरपेक्ष रूप से वृद्धि हुई है। यह वृद्धि आयातकों की ओर से है जो सब्सिडी रोधी शुल्क के अध्यधीन नहीं है।
 - ख. वियतनाम में सीवीडी शुल्क से छूट प्राप्त उत्पादकों से आयात मांग में वृद्धि की तुलना में बहुत अधिक बढ़ गया है।
 - ग. सीवीडी शुल्क से छूट प्राप्त वियतनाम में उत्पादकों से आयात की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। ऐसे आयातों ने घरेलू उद्योग की संभाव्यता और मौजूदा बाजार हिस्सेदारी को छीन लिया है।
 - घ. भारतीय उद्योग की बाजार हिस्सेदारी जांच की मूल अवधि से पूर्व भारतीय उद्योग द्वारा धारित बाजार शेयर से काफी कम है।
 - ङ. घरेलू उद्योग में भारत में पूरी मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है। इसलिए, आयात पर निर्भरता पूरी तरह से अनावश्यक है।
 - च. वियतनाम से आयात औसत आधार पर घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे हैं। पीसीएन-वार आधार पर मूल्य कम करना अधिक है।
 - छ. घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई है और जांच की अवधि के दौरान यह सबसे कम थी।
 - ज. वियतनाम से आयात की उतराई कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से कम थी।

- झ. वियतनाम से कम कीमत वाले आयात के कारण घरेलू उद्योग को मार्जिन पर समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और निवेश पर आय में गिरावट आई है।
- ञ. विशेष रूप से चीन से कच्चे माल के आयात पर भारत में एंटी-सब्सिडी शुल्क और पाटन रोधी शुल्क लगाए जाने के बाद कच्चे माल को चीन से वियतनाम को स्थानांतरित किया जा रहा है।
- ट. प्राधिकरण ने हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स में निर्णय दिया है कि चीन और इंडोनेशिया में कच्चे माल के विनिर्माताओं को पर्याप्त राजसहायता प्रदान की जा रही है। ऐसी सब्सिडी का लाभ वियतनाम और थाईलैंड में उत्पादकों के माध्यम से पारित किया गया है। इसलिए, वियतनाम और थाईलैंड में विशेष बाजार की स्थिति मौजूद है।
- ठ. तुर्की, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, यूएसए और ब्राजील जैसे कई देशों ने संबंधित वस्तुओं के आयात पर व्यापार उपचारात्मक उपाय लागू किए हैं।
- ड. क्षति विश्लेषण और क्षति मार्जिन के लिए केवल हानिकारक आयात पर विचार करने की आवश्यकता।
- ढ. वियतनामी और थाई उत्पादकों द्वारा डंपिंग, जो सब्सिडी विरोधी शुल्क के अधीन नहीं थे, ने घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से कम कीमतों के साथ भारतीय बाजार में आयात की बाढ़ से घरेलू उद्योग की पूर्ण वसूली को कम कर दिया

ज 3. प्राधिकरण द्वारा समीक्षा

- 59. प्राधिकरण ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में इच्छुक पाटयों के तर्कों और प्रतितर्कों की जांच की है। प्राधिकरण द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण के तहत इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए विभिन्न प्रस्तुतियों को संबोधित किया गया है।
- 60. अनुबंध II के साथ पठित पाटन रोधी शुल्क नियम, 1995 के नियम 11 में प्रावधान है कि क्षित निर्धारण में उन कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षित का संकेत दे सकते हैं, "... पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में समान वस्तुओं की कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए। मूल्यों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए यह जांच करना आवश्यक समळाा जाता है कि क्या भारत में इसी प्रकार की वस्तु के मूल्य की तुलना में पाटित आयातों द्वारा मूल्य में उल्लेखनीय कमी की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा मूल्यों को काफी हद तक कम करने अथवा मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए है। जो अन्यथा एक महत्वपूर्ण डिग्री के लिए हुआ होगा।
- 61. क्षति और कारण लिंक के संबंध में जांच के दौरान घरेलू उद्योग और अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण और प्राधिकरण द्वारा प्रासंगिक समझे जाने की जांच की जाती है और प्रासंगिक मानदंडों के तहत नीचे संबोधित किया जाता है।
- 62. प्राधिकरण नोट करता है कि यह आवश्यक नहीं है कि क्षित के सभी पैरामीटर गिरावट दिखाते हैं। कुछ पैरामीटर गिरावट दिखा सकते हैं, जबिक कुछ अन्य नहीं दिखा सकते हैं। प्राधिकरण घरेलू उद्योग के वित्तीय पैरामीटरों का मूल्यांकन करने के लिए सभी क्षित मानदंडों पर विचार करता है। प्राधिकरण ने घरेलू उद्योग और अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तकों पर विचार करते हुए क्षित संबंधी मानदंडों की निष्पक्ष जांच की है।

आयात का संचयी मूल्यांकन

- 63. डब्ल्यूटीओ समझौते के अनुच्छेद 3.3 और एडी के अनुलग्नक II के अनुछेद (iii) में प्रावधान है कि ऐसे मामले में जहां एक से अधिक देशों से उत्पाद के आयात की एक साथ पाटन रोधी जांच की जा रही है, प्राधिकरण संचयी रूप से ऐसे आयातों के प्रभाव का आकलन करेगा, यदि यह निर्धारित करता है कि:
 - क. प्रत्येक देश से आयात के संबंध में स्थापित पाटन का मार्जिन निर्यात मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात का तीन प्रतिशत

(या अधिक) है या जहां अलग-अलग देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है, आयात सामूहिक रूप से समान वस्तुओं के आयात के सात प्रतिशत से अधिक के लिए जिम्मेदार है और

- ख. आयातित वस्तुओं और इसी प्रकार की घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है।
- 64. प्राधिकरण नोट करता है कि इन देशों से आयात की मात्रा एडी नियमों के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।
- 65. यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या आयातित वस्तुओं और ऐसी घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है, निम्नलिखित पैरामीटरों की जांच की गई है-
 - क. विभिन्न पार्टियों द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद लेख की तरह हैं और गुणों में तुलनीय हैं।
 - ख. घरेलू स्तर पर उत्पादित उत्पाद और आयातित उत्पाद विनिमेय हैं। उपभोक्ता घरेलू उत्पादों और आयातित उत्पादों का परस्पर उपयोग कर रहे हैं और निर्यातक और घरेलू उद्योग ने एक ही उत्पाद को ग्राहकों के एक ही सेट को बेचा है।
 - ग. घरेलू उत्पाद और आयातित उत्पाद के बीच सीधी प्रतिस्पर्धा होती है और आयातित उत्पादों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा होती है।
 - घ.विषय देशों से आयात मूल्य एक दूसरे के साथ चलते रहे हैं।
- 66. प्राधिकरण नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने सबूत दिए हैं कि संबंधित देशों के घरेलू उत्पादक और निर्यातक ग्राहकों की एक ही श्रेणी को समान उत्पाद बेचते हैं और दोनों एक ही बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। दोनों उत्पादों का उपभोक्ताओं द्वारा परस्पर उपयोग किया जा रहा है। डीजी सिस्टम डाटा के माध्यम से भी प्राधिकरण द्वारा इसका पता लगाया गया है।
- 67. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण घरेलू उद्योग पर संबंधित देशों से विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन करना उपयुक्त समझता है।

ज.3.1 मांग / प्रत्यक्ष उपभोग का आकलन

68. प्राधिकरण ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार आकलित मांग नीचे सारणी में दी गई है।

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	111	117	124
अन्य उत्पादकों की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	101	107	91
वियतनाम से आयात	एमटी	42,013	33,474	46,626	46,310
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	80	111	110
थाईलैंड से आयात	एमटी	2,496	11,812	7,703	7,049
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	473	309	282

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
अन्य आयात	एमटी	65,474	15,128	8,551	7,489
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	23	13	11
मांग	एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	91	96	90

69. यह देखा गया है कि 2019-20 की तुलना में 2020-21 में संबंधित वस्तुओं की मांग में गिरावट आई, लेकिन उसके बाद 2021-22 में वृद्धि हुई और जांच की अविध में फिर से थोड़ी गिरावट आई है। हालांकि, जांच अविध के दौरान मांग काफी हद तक स्थिर रही है।

ज.3.2 विषयगत देशों से आयात का मात्रा प्रभाव

70. आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकरण को यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में आयात में निरपेक्ष रूप से अथवा उत्पादन अथवा खपत के सापेक्ष उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। क्षित विश्लेषण के उद्देश्य से, प्राधिकरण ने डीजी सिस्टम से प्राप्त लेनदेन वार आयात डेटा पर भरोसा किया है। क्षित की अविध और जांच की अविध के दौरान विषय देशों से विषय वस्तुओं के आयात की मात्रा निम्नानुसार है:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई			
घरेलू उत्पादन	एमटी	***	***	***	***			
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	112	119	130			
कुल खपत/मांग	एमटी	***	***	***	***			
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	91	96	90			
आयात								
वियतनाम से आयात	एमटी	42,013	33,474	46,626	46,310			
थाईलैंड से आयात	एमटी	2,496	11,812	7,703	7,049			
विषय देशों से आयात	एमटी	44,509	45,286	54,329	53,359			
अन्य आयात	एमटी	65,474	15,128	8,551	7,489			
कुल	एमटी	1,09,983	60,414	62,880	60,848			
विषय देशों से आयात के संबंध में	विषय देशों से आयात के संबंध में							
घरेलू उत्पादन	%	30-40	30-40	30-40	30-40			
खपत/मांग	%	10-20	10-20	10-20	10-20			

71. यह देखा गया है कि:

क. क्षति की जांच अवधि के आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-2021 में वियतनाम से आयात की मात्रा में

गिरावट आई है। हालांकि, 2020-2021 के बाद आयात की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

- ख. आधार वर्ष 2019-20 की तुलना में 2020-21 के दौरान थाईलैंड से आयात की मात्रा में काफी वृद्धि हुई, जबिक 2020-21 के बाद, आयात की मात्रा में गिरावट आई लेकिन स्थिर रही।
- ग. हालांकि मांग में उल्लेखनीय गिरावट आई है, आयात में कमी इस कमी की सीमा को प्रतिबिंबित नहीं करती है।
- घ. घरेलू उत्पादन की तुलना में अधीन देशों से आयात ***% से घटकर ***% हो गया है।

ज.3.3 विषयगत देशों से आयात का मूल्य प्रभाव

72. संबंधित देशों से आयातों के मूल्य प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किया जाना आवश्यक है कि क्या भारत में ऐसे उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण मूल्य कम कटौती की गई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को कम करने या मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा सामान्य पाठ्यक्रम में होता। वियतनाम और थाईलैंड से आयातों के कारण घरेलू उद्योग के मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच मूल्य कम करने, मूल्य कम करने और मूल्य अवसाद, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है।

क. कीमत कम करना

73. मूल्य कम कटौती का निर्धारण करने के लिए, व्यापार के समान स्तर पर उत्पाद के अवतरित मूल्य और घरेलू उद्योग के औसत बिक्री मूल्य, सभी छूटों और करों के निवल के बीच तुलना की गई है। घरेलू उद्योग के मूल्य फैक्टरी स्तर पर निर्धारित किए गए थे।

क्र.सं.	विवरण (वियतनाम)	यूओएम	200 श्रृंखला	300 श्रृंखला
1	वियतनाम से आयात की लैंडिड कीमत	₹/एमटी	1,51,493	2,50,993
2	निवल विक्रय मूल्य	₹/एमटी	***	***
3	मूल्य में कटौती	₹/एमटी	***	***
4	मूल्य में कटौती	%	***	***
5	मूल्य में कटौती	श्रेणी	(0-10)	0-10

क्र.सं.	विवरण (थाईलैंड)	यूओएम	200 श्रृंखला	300 श्रृंखला
1	थाईलैंड से आयात की लैंडिड कीमत	₹/एमटी	1,55,105	2,30,150
2	निवल विक्रय मूल्य	₹/एमटी	***	***
3	मूल्य में कटौती	₹/एमटी	***	***
4	मूल्य में कटौती	%	***	***
5	मूल्य में कटौती	श्रेणी	(0-10)	10-20

- 74. वियतनाम के संबंध में, यह देखा गया है कि यद्यपि 200 श्रृंखलाओं के मामले में नकारात्मक मूल्य कम कटौती हुई है, तथापि, 300 श्रृंखलाओं के मामले में 0-10% से लेकर सकारात्मक मूल्य कम कटिंग की गई है।
- 75. जहां तक थाईलैंड का संबंध है, यह देखा गया है कि यद्यपि 200 श्रृंखलाओं के मामले में नकारात्मक मूल्य कम कटौती हुई है, तथापि, 300 श्रृंखलाओं के मामले में 10-20% से लेकर सकारात्मक मूल्य कम कटिंग की जा रही है।
- 76. तथापि, प्राधिकरण नोट करता है कि मूल्य कम कटौती की उपस्थिति या अनुपस्थिति अपने आप में घरेलू उद्योग को नुकसान का निर्धारक नहीं हो सकती है।

ख. मूल्य दमन/अवसाद

77. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयातों के प्रभाव से मूल्यों में काफी कमी आती है अथवा मूल्य वृद्धि, जो अन्यथा सामान्य स्थिति में होती, को रोका जा सके, प्राधिकरण ने क्षति की अविध के दौरान घरेलू उद्योग की लागतों और मूल्यों में परिवर्तनों की जांच की है।

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
बिक्री की लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	95	130	137
विक्रय मूल्य	₹/एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	98	138	141
वियतनाम से आने वाली कीमत	₹/एमटी	1,56,842	1,71,120	2,02,932	2,43,168
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	109	129	155
थाईलैंड से आने वाली कीमत	₹/एमटी	1,23,859	1,09,581	1,46,260	1,67,384
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	88	118	135

78. प्राधिकरण नोट करता है कि, आधार वर्ष के दौरान, घरेलू उद्योग ने आयात से कुछ मूल्य दबाव का अनुभव किया, जैसा कि बिक्री मूल्य बिक्री की लागत से नीचे गिरने से स्पष्ट है। तथापि, क्षित की जांच अविध के आधार वर्ष के बाद घरेलू उद्योग संबंधित वस्तुओं को बिक्री लागत से अधिक मूल्यों पर बेचने में समर्थ रहा है जो घरेलू मूल्यों पर आयातों के परिणामस्वरूप होने वाली मंदी अथवा दमन मूल्य दबाव की अनुपस्थित को दर्शाता है।

ज.3.4. घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

79. नियमों में अपेक्षा की गई है कि क्षित के निर्धारण में घरेलू उत्पादकों पर आयातित विषय की परिणामी क्षित की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियमों में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री में वास्तविक और संभावित गिरावट सिहत उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आथक कारकों और सूचकांकों का वस्तुनिष्ठ निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। लाभ, आउटपुट, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर वापसी या क्षमता का उपयोग; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, नकदी प्रवाह, इन्वेंटरी, रोजगार, मजदूरी,

विकास, पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव। तदनुसार, क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच की गई है।

क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री की मात्रा

80. क्षति अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन नीचे दिया गया था –

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
क्षमता	एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	104	109	131
कुल उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	112	119	130
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	50-60	60-70	60-70	50-60
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	111	117	124

81. प्राधिकरण ने पाया कि क्षिति की अविध के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, क्षमता उपयोग, उत्पादन और बिक्री में वृद्धि के बावजूद, उद्योग अपने इष्टतम स्तर पर काम करने या अपनी क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम नहीं रहा है। क्षिति की जांच अविध के दौरान, वर्ष 2021-22 में घरेलू उद्योग अपनी स्थापित क्षमता का केवल ***% उपयोग करने में कामयाब रहा है, एक आंकड़ा जो जांच की अविध के दौरान घटकर ***% हो गया।

ख. बाज़ार हिस्सेदारी

82. आयातों और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से की निम्नानुसार जांच की गई है -

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	111	117	124
अन्य उत्पादकों की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	101	107	91
वियतनाम से आयात	एमटी	42,013	33,474	46,626	46,310
थाईलैंड से आयात	एमटी	2,496	11,812	7,703	7,049
अन्य आयात	एमटी	65,474	15,128	8,551	7,489

मांग	एमटी	***	***	***	***
बाज़ार हिस्सेदारी					
घरेलू उद्योग	%	20-30	30-40	30-40	30-40
अन्य भारतीय उत्पादक	%	40-50	40-50	40-50	40-50
संबद्ध देशों से आयात	%	10-20	10-20	10-20	10-20
अन्य आयात	%	10-20	0-10	0-10	0-10

83. प्राधिकरण नोट करता है कि सब्सिडी रोधी शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण राहत मिली है, जिससे वह जांच की अविध के आधार वर्ष में अपनी बाजार हिस्सेदारी को ***% से बढ़ाकर जांच की अविध में ***% करने में सक्षम हुआ है। हालांकि, यह भी देखा गया है कि अधीन देशों से आयात की प्रवृत्ति ने आधार वर्ष में ***% से बढ़कर जांच की अविध के दौरान ***% तक वृद्धि का अनुभव किया है।

ग. सूची

84. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची स्थिति नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
औसत स्टॉक	एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	130	141	166

- 85. यह ध्यान दिया जाता है कि क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की सूची में वृद्धि हुई है।
- घ. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर वापसी
- 86. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग के नियोजित पूंजी पर लाभ, नकद लाभ और वापसी नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
बिक्री की लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	95	130	137
विक्रय मूल्य	₹/एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	98	138	141
लाभ / (हानि)	₹/एमटी	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	(100)	686	2,267	976
लाभ / (हानि)	₹ लाख	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	761	2,652	1,234

नकद लाभ	₹ लाख	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	448	1,129	609
नियोजित पूंजी पर वापसी	%	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	253	452	212

87. प्राधिकरण नोट करता है कि:

- I. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता 2021-2022 तक बढ़ गई, हालांकि, पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में इसमें ***% की गिरावट आई है।
- II. नियोजित पूंजी पर रिटर्न ने भी वही प्रवृत्ति दिखाई जो वर्ष 2021-2022 तक बढ़ी थी, लेकिन उसके बाद पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में ***% की गिरावट आई है।

ङ. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

88. प्राधिकरण ने रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित सूचना की जांच की है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
कर्मचारी	संख्या	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	105	116	137
प्रति दिन उत्पादकता	एमटी/दिन	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	112	119	130
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/सं	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	106	103	95

89. यह ध्यान दिया जाता है कि क्षति की अविध में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई। क्षति के कारण प्रति दिन उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है, हालांकि, प्रति कर्मचारी उत्पादकता 2020-2021 से घटने लगी और जांच की अविध में और गिरावट का अनुभव किया है।

च. वृद्धि

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
संस्थापित क्षमता	%	-	***	***	***
उत्पादन	%	-	***	***	***
घरेलू बिक्री	%	-	***	***	***
लाभ/(हानि) प्रति यूनिट	%	-	(***)	***	(***)
नकद लाभ	%	-	***	***	(***)

नियोजित पूंजी पर वापसी	%	-	***	***	(***)
------------------------	---	---	-----	-----	-------

90. यह नोट किया गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अविध में स्थापित क्षमता में सकारात्मक वृद्धि हुई है और यह ***% तक पहुंच गई है। हालांकि, घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि 2020-21 में ***%से घटकर जांच की अविध में ***%हो गई। घरेलू उद्योग को घरेलू बिक्री की वृद्धि में भी गिरावट का सामना करना पड़ा है, जो जांच की अविध के दौरान 2020-21 में ***% से गिरकर ***% हो गई। इसके अलावा, नकद लाभ और पूंजी पर वापसी दोनों ने जांच की अविध के दौरान नकारात्मक वृद्धि दिखाई, क्षित की अविध के दौरान सकारात्मक विकास दर प्रदर्शित करने के बावजूद।

छ. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

91. प्राधिकरण नोट करता है कि यद्यपि घरेलू उद्योग की क्षमता में क्षित की अविध के दौरान वृद्धि हुई है, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता जांच की अविध में कम हो गई है और नियोजित पूंजी पर लाभ में गिरावट दर्ज की गई है। इस प्रकार, आयातों ने घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

झ. क्षति मार्जिन की मात्रा

- 92. विचाराधीन उत्पाद का गैर-हानिकारक मूल्य जांच की अविध के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित किया गया है। क्षिति माजन की गणना करने के लिए संबंधित देशों से अवतरण मूल्य की तुलना करने के लिए गैर-हानिकारक मूल्य पर विचार किया गया है। गैर-हानिकारक मूल्य निर्धारित करने के लिए, घरेलू उद्योग द्वारा क्षित की अविध में कच्चे माल के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। उपयोगिताओं के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया है। क्षित की अविध में उत्पादन क्षमता का सबसे अच्छा उपयोग करने पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन लागत के लिए कोई असाधारण या गैर-आवर्ती खर्च नहीं लिया जाता है। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (यानी औसत शुद्ध अचल संपत्ति और औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित रिटर्न (पूर्व-कर @ 22%) को गैर-हानिकारक मूल्य पर पहंचने के लिए पूर्व-कर लाभ के रूप में अनुमित दी गई थी।
- 93. संबंधित देशों के सहकारी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए लैंडेड मूल्य उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया गया है। संबंधित देशों के सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकरण ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अवतरण मूल्य निर्धारित किया है।
- 94. उतराई के मूल्य और उपरोक्तानुसार निर्धारित अहानिकर मूल्य के आधार पर प्राधिकरण द्वारा उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति माजन निर्धारित किया गया है और इसका उल्लेख नीचे तालिका में किया गया है।

					-	
क्र. सं.	विशेष	एनआईपी	लैंंडेड प्राइस	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन
		अमरीकी डालर/एमटी	अमरीकी डालर/एमटी	अमरीकी डालर/एमटी	%	श्रेणी
1	वियतनाम					
क	सोनहा एसएसपी वियतनाम	***	***	***	***	ऋणात्मक
ख	स्टील 568 कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	0-10

ग	कोई अन्य	***	***	***	***	10-20
2	थाईलैंड					
क	आई स्टेनलेस स्टील कं, लिमिटेड	***	***	***	***	ऋणात्मक
ख	कोई अन्य	***	***	***	***	10-20

ञ. गैर-एट्रिब्यूशन विश्लेषण

95. प्राधिकरण ने जांच की कि क्या पाटन रोधी नियमों के तहत सूचीबद्ध अन्य कारक घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन नियमों के अनुसार, प्राधिकरण को, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित आयातों के अलावा किन्हीं ज्ञात कारकों, जिनसे घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है, की जांच करनी होती है ताकि इन अन्य कारकों द्वारा हुई क्षिति के लिए राजसहायता प्राप्त आयातों को जिम्मेदार न ठहराया जा सके। प्राधिकरण ने जांच की कि क्या अन्य ज्ञात सूचीबद्ध कारकों के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान हुआ है।

क. तीसरे देशों से आयात की मात्रा और मूल्य

96. संबंधित देशों के अलावा, चीन से संबंधित वस्तुओं का आयात भी पाटित मूल्यों पर होता है। हालांकि, चीन से आयात पर सीवीडी शुल्क लगाया जाता है।

ख. मांग में संकुचन

97. संबंधित वस्तुओं की मांग में प्रारंभ में गिरावट आई लेकिन उसके बाद क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है। मांग में संकुचन का सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड पर कोई जानकारी नहीं है। मांग में संभावित संकुचन के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान नहीं हुआ है।

ग. खपत का पैटर्न

98. विचाराधीन उत्पाद की खपत के पैटर्न में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसके लिए क्षति का कारण बताया जा सकता है।

घ. प्रतिस्पर्धा और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं की शर्तें

99. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं या प्रतिस्पर्धा की शर्तें नहीं हैं, जो अधीन देशों से कम कीमत वाले आयातों के अलावा घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

ङ. प्रौद्योगिकी में विकास

100. संबंधित वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति पहुंची है।

च. उत्पादकता

101. घरेलू उद्योग की उत्पादकता में कमी नहीं आई है और इस प्रकार इसके कारण इसे कोई क्षति नहीं पहुंची है।

छ. घरेलू उद्योग का निर्यात प्रदर्शन

102. घरेलू उद्योग ने निर्यात निष्पादन को घरेलू निष्पादन से अलग रखा है और इस प्रकार इस कारण कोई क्षति नहीं हुई है।

ज. अन्य उत्पादों का प्रदर्शन

103. इस क्षति के लिए कंपनी के अन्य उत्पादों के निष्पादन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि घरेलू उद्योग ने केवल विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पृथक किया है और सूचना प्रदान की है।

ट. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

ट 1. अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रस्तुतियाँ

104. इच्छुक पार्टियों ने प्रस्तुत किया है कि पाटन रोधी शुल्क लगाने से भारतीय उपयोगकर्ता उद्योग के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा।

ट 2. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ

- 105. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियां दी हैं
 - क. आयातकों और उपयोगकर्ताओं ने आर्थिक हित प्रश्नावली में भाग नहीं लिया है या जवाब नहीं दिया है।
 - ख. जवाब देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है जो प्राधिकरण को यह निर्धारित करने की अनुमित दे सके कि शुल्क लगाना सार्वजिनक हित में होगा या नहीं। इस संबंध में किसी सूचना का न होना यह दर्शाता है कि उत्पादकों/निर्यातकों के पास यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य अथवा सूचना नहीं है कि शुल्क लगाने से भारत में प्रयोक्ताओं पर कोई प्रतिकृल प्रभाव पड़ेगा।
 - ग. शुल्क लगाने से भारतीय इस्पात क्षेत्र के लिए अनुकूल बाजार की स्थिति पैदा होगी क्योंकि इससे इस्पात आयात पर निर्भरता कम होगी।
 - **घ.** यह उपभोक्ताओं के हित में है कि एक प्रतिस्पर्धी घरेलू उद्योग हो जो उचित मूल्य के आयातों के मुकाबले में उपभोक्ताओं को उत्पाद की आपूत करने में सक्षम हो।
 - ड. भारत में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारतीय उद्योग के पास पर्याप्त क्षमताएं हैं।
 - च. भारतीय उद्योग में उत्पादकों की संख्या 100 से अधिक है और शुल्क लगाने से भारतीय बाजार में कोई एकाधिकार नहीं पैदा होगा।
 - **छ.** भारतीय उद्योग खंडित है और भारत में इस तरह की वस्तुओं के अधिकांश उत्पादक एमएसएमई हैं और उन्हें समान अवसर प्रदान करने के लिए शुल्क लगाना अनिवार्य है।
 - ज. विषय वस्तुएं अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल नहीं हैं और इस प्रकार कर्तव्यों का प्रभाव, जो न्यूनतम है, अन्य उद्योगों के प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करेगा।
 - **झ.** विषय वस्तुओं का उपयोग आवासीय या वाणिज्यिक निर्माण में किया जाता है और इस उत्पाद के कारण लागत एक निर्माण परियोजना की कुल लागत का केवल 0.05% है। प्रस्तावित शुल्क का प्रभाव न्यूनतम है।
 - ञ. माल इटली, मलेशिया, अमेरिका और कोरिया आरपी जैसे विभिन्न अन्य देशों से आयात किया जा सकता है।
 - ट. मूल सीवीडी जांच के बाद से मांग बढ़ने के बाद से शुल्कों का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।
 - **ठ.** शुल्क लगाने के मामले में, आउटगोइंग विदेशी मुद्रा को संरक्षित किया जाएगा, जिससे भुगतान का अनुकूल संतुलन होगा।

ट3. प्राधिकरण द्वारा समीक्षा

- 106. प्राधिकरण नोट करता है कि सामान्यत शुल्क का उद्देश्य डिम्पंग की अनुचित व्यापार पद्धितयों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षित को समाप्त करना है तािक भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थित स्थापित की जा सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य किसी भी प्रकार से संबंधित देशों से आयात को प्रतिबंधित करना नहीं है। प्राधिकरण मानता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में उत्पाद के मूल्य स्तर पर मामूली प्रभाव पड़ सकता है, तथापि, पाटनरोधी उपाय लागू करने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय लागू करने से घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट को रोका जा सकेगा और संबंधित वस्तुओं के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
- 107. जांच शुरू होने के बाद, प्राधिकरण ने सभी इच्छुक पक्षों को आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की। तथापि, प्रश्नावली का उत्तर घरेलू उद्योग और वियतनाम के दो उत्पादकों नामत सोन्हा एसएसपी वियतनाम एंड स्टील कंपनी लि द्वारा

- दायर किया गया था। इसके अलावा, संबंधित वस्तुओं और डाउनस्ट्रीम उत्पाद के लिए प्रशासनिक मंत्रालय ने भी शुल्क लगाने या समाप्त होने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं जताई है या कोई बयान नहीं दिया है।
- 108. प्राधिकरण नोट करता है कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया है कि कर्तव्यों को लागू करने से उपयोगकर्ताओं के प्रदर्शन में गिरावट आ सकती है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्राधिकरण द्वारा संरचित और प्रमाणित जानकारी प्रदान करने का अवसर प्रदान करने के बावजूद, आर्थिक हित प्रश्नावली के जवाब में, उपयोगकर्ताओं ने वर्तमान जांच में भाग लेने से परहेज किया है। इसके मद्देनजर, प्राधिकरण नोट करता है कि यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि उपायों को लागू करने से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- 109. इस संबंध में, प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने उपयोगकर्ताओं पर पाटन रोधी शुल्क के मात्रात्मक प्रभाव को प्रस्तुत किया था। घरेलू उद्योग द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, उपयोगकर्ताओं पर प्रभाव लगभग 0.05% था।
- 110. देश में इस तरह की वस्तु की उपलब्धता के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि पाटन रोधी शुल्क संबंधित देशों से आयात को प्रतिबंधित नहीं करता है, बिल्क केवल एक स्तर का खेल मैदान प्रदान करता है। इस तरह के स्तर के खेल मैदान से कई एमएसएमई कंपनियों को भारतीय बाजार में फलने-फूलने का मौका मिलेगा। भारतीय उद्योग के पास भारत में बढ़ती मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है। शुल्क लगाए जाने के बाद से मांग बढ़ी है।
- 111. रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना के अनुसार घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारत में पर्याप्त क्षमता है।
- 112. खंडित प्रकृति और बहु-उत्पादकों की उपस्थिति से भी घरेलू उत्पादकों के बीच पारस्परिक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होगी। परिणामस्वरूप, प्रयोक्ताओं को घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्द्धात्मक कीमतों और विषयगत वस्तुओं की आसान उपलब्धता का आश्वासन दिया जाएगा। आवेदकों ने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि उत्पाद को अन्य देशों से भी आयात किया जा सकता है।
- 113. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि शुल्क लगाने से प्रयोक्ताओं पर तथा घरेलू बाजार में संबंधित वस्तुओं की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ठ.पोस्ट प्रकटीकरण टिप्पणियाँ

ठ.1. अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रस्तुतियाँ

- 114. टीवीएल का तर्क है कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 या एंटी-डंपिंग नियम कम निर्यात मात्रा के मामले में व्यक्तिगत शुल्क देने पर रोक नहीं लगाते हैं। प्राधिकरण ने पिछले मामलों में व्यक्तिगत शुल्क दरें प्रदान की हैं, जैसे कि 2007 और 2008 में डीआई पाइप्स और सेफ्ट्रियाक्सोन सोडियम स्टेराइल के आयात के लिए भारत में केवल दो निर्यात लेनदेन होने के बावजूद। प्रतिवादी प्राधिकरण से व्यक्तिगत शुल्क दरों को देने में सुसंगत होने का अनुरोध करता है।
- 115. उपरोक्त सबिमशन के अलावा, टीवीएल प्राधिकरण से अनुरोध करता है कि यदि व्यक्तिगत शुल्क दरों के लिए उसका अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाता है, तो उसे न्यू शिपर समीक्षा के साथ प्राधिकरण से संपर्क करने की अनुमित दी जानी चाहिए।

ठ.2. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ

- 116. जिया आन्ह और ओएसएस दाईदुओंग घरेलू उद्योग को जवाब का गोपनीय संस्करण प्रसारित करने में विफल रहे हैं, जिससे उसे अपने हितों की रक्षा के लिए टिप्पणी करने से रोका जा सके। दोनों उत्पादकों की ओर से ऐसी विफलता के मद्देनजर, एंटी-डंपिंग नियम, 1995 के नियम 7(3) के अनुसार जवाबों को नज़रअंदाज़ किया जाना चाहिए।
- 117. विचाराधीन उत्पाद को एक ही पीसीएन के भीतर विभिन्न ग्रेड (शृंखला) में आयात किया जा रहा है। जिन कीमतों

- पर एक ही पीसीएन के भीतर इन ग्रेड का आयात किया जा रहा है, वे भी अलग-अलग हैं। इसलिए, आयातित और घरेलू उत्पाद की भौतिक विशेषताओं में अंतर के लिए उचित मूल्य समायोजन की आवश्यकता है।
- 118. वियतनाम और थाईलैंड में कच्चे माल की कीमतें इन बाजारों में प्रचलित विशेष बाजार स्थिति के कारण कम बताई गई हैं। उत्पादन लागत के निर्धारण के लिए कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर विचार किया जाना चाहिए।

ठ3. प्राधिकरण द्वारा समीक्षा

- 119. प्राधिकरण ने इच्छुक पाटयों द्वारा किए गए प्रकटीकरण पश्चात प्रस्तुतियों की जांच की है और यह नोट किया है कि अधिकांश टिप्पणियां/प्रस्तुतियां पुनरावृत्ति हैं जिनकी पहले ही उपयुक्त रूप से जांच की जा चुकी है और अंतिम निष्कर्षों के संगत अनुछेद में पर्याप्त रूप से समाधान किया जा चुका है। संक्षिप्तता की दृष्टि से प्राधिकरण द्वारा प्रकटीकरण के बाद की जांच में भी इसे दोहराया नहीं जा रहा है। इच्छुक पक्षों द्वारा प्रकटीकरण पश्चात टिप्पणियों/प्रस्तुतियों में पहली बार उठाए गए मुद्दों और प्राधिकरण द्वारा प्रासंगिक समझे गए मुद्दों की नीचे जांच की जाती है।
- 120. पीओआई में केवल दो लेनदेन के साथ निर्यातकों को सौंपे गए व्यक्तिगत कर्तव्यों के बारे में टीवीएल की चिंता के बारे में, प्राधिकरण नोट करता है कि टीवीएल द्वारा उद्धृत दोनों मामलों में, संबंधित पक्षों का पीओआई से पहले निर्यात का इतिहास था, और यह पीओआई के दौरान था कि उनके पास भारत को निर्यात के केवल दो लेनदेन थे। हालांकि, टीवीएल का एक्सपोर्ट वॉल्यूम पीओआई के दौरान और इससे पहले के वर्ष दोनों में कम था. यह परिस्थिति प्राधिकरण को यथोचित रूप से पृष्टि करने की अनुमित नहीं देती है कि टीवीएल के निर्यात मूल्य हेरफेर नहीं हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, प्राधिकरण ने स्वयं को आश्वस्त करने के लिए निर्यात मूल्य की गहन संवीक्षा करने का प्रयास किया कि टीवीएल से सीमित निर्यातों का निर्यात मूल्य वास्तव में इसकी कीमत को दर्शाता है और संबंधित देश से संबंधित वस्तुओं के आयात पर प्रचलित सब्सिडी-रोधी शुल्कों से प्रभावित नहीं हुआ है। खुद को फिर से आश्वस्त करने के लिए, प्राधिकरण ने टीवीएल के तीसरे देशों को निर्यात को देखा है। इस जांच का उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या तीसरे देशों को टीवीएल का निर्यात मूल्य भारत को इसके निर्यात मूल्य के बराबर था और इस निष्कर्ष पर पहुंचना था कि इस तरह के निर्यात मात्रा के साथ टीवीएल का निर्यात मूल्य 'रंगीन' नहीं था। हालांकि, तीसरे देशों में टीवीएल का निर्यात भी बहुत कम था, और इसलिए, प्राधिकरण ने व्यक्तिगत शुल्क दर के अनुदान के लिए टीवीएल के दावे को खारिज कर दिया।
- 121. उपर्युक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह नोट किया गया है कि वियतनाम से संबंधित वस्तुओं के आयात के विरुद्ध सीवीडी शुल्क पहले से ही लागू थे और एक समानांतर सनसेट रिव्यू सीवीडी जांच भी शुरू की गई थी। सीवीडी की मूल जांच में प्राधिकरण द्वारा लगाए गए कर्तव्य सार्वजनिक हैं। यह जानकारी संभावित रूप से नए निर्यातकों को अपनी कीमतों में हेरफेर करने में सक्षम कर सकती है। टीवीएल द्वारा उद्धृत जांच की परिस्थितियां मूल पाटन रोधी जांच से संबंधित हैं, जिसमें सीवीडी शुल्क संबंधित वस्तुओं पर लागू नहीं थे, और इसलिए, वर्तमान जांच के साथ तुलना नहीं की जा सकती है। अगर सीवीडी जैसा कोई अन्य व्यापार उपचारात्मक शुल्क पहले से लागू नहीं होने के साथ यह मूल जांच होती, तो कम निर्यात मात्रा को कीमतों के सही प्रतिबिंब का विश्लेषण करने के लिए इतनी गहरी जांच की आवश्यकता नहीं हो सकती थी। इसलिए, यह कहना कि कम निर्यात मात्रा पर विचार किया जाना चाहिए और निर्यातक/उत्पादक को स्ट्रेट जैकेट फार्मूले के तहत व्यक्तिगत दर शुल्क प्रदान किया जाना चाहिए, को सराहा नहीं जा सकता।
- 122. आवेदकों ने दावा किया है कि जिया आन्ह और ओएसएस दाईदुओंग घरेलू उद्योग को प्रतिक्रिया का अगोपनीय संस्करण प्रसारित करने में विफल रहे हैं, जिससे उसे अपने हितों की रक्षा के लिए टिप्पणी करने से रोका जा सके। दोनों उत्पादकों की ओर से ऐसी विफलता के मद्देनजर, पाटन रोधी नियम, 1995 के नियम 7(3) के अनुसार प्रतिक्रियाओं को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी के निर्देशों के बावजूद, जिया आन्ह और ओएसएस दाईदुओंग अन्य इच्छुक पक्षों के साथ अपनी प्रस्तुतियों के अगोपनीय संस्करण साझा

करने में विफल रहे और इसलिए उन्हें उपरोक्त दो उत्पादकों/निर्यातकों की प्रस्तुतियों के संबंध में कोई उचित प्रस्तुतियां देने का अवसर नहीं मिला। इसलिए, जिया आन्ह और ओएसएस दाईदुओंग की प्रतिक्रियाओं को प्राधिकारी द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया है और जिया आन्ह और ओएसएस दाईदुओंग दोनों को व्यक्तिगत शुल्क नहीं दिया गया है।

- 123. प्राधिकरण ने नोट किया है कि आवेदकों ने उचित तुलना सुनिश्चित करने के लिए कीमतों में समायोजन के बारे में अपना अनुरोध दोहराया है, विशेष रूप से 300 श्रृंखलाओं के भीतर आयातों के लिए, विशेष रूप से 304 और 316एल के लिए। इस मुद्दे की जांच प्राधिकरण द्वारा पहले ही पैराग्राफ 5 में की जा चुकी है।
- 124. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदकों सहित इच्छुक पक्षों को पीयूसी के दायरे पर अपनी टिप्पणियां प्रदान करने और यदि आवश्यक हो तो डब्ल्यूटीओ समझौत के अनुच्छेद 2.4 और एंटी-डंपिंग नियम, 1995 के अनुबंध I, पैराग्राफ 6 के अनुसार निष्पक्ष तुलना के लिए अगोपनीय आवेदन के परिचालन की तारीख से 15 दिनों की अविध के भीतर उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) प्रस्तावित करने का अवसर दिया गया था। सभी इच्छुक पक्षों द्वारा दायर टिप्पणियों पर विधिवत विचार करने के बाद प्राधिकरण द्वारा 15 अप्रैल, 2024 को पीसीएन अधिसूचित किए गए थे। यह नोट करना उचित है कि आवेदक सित इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तावित और बाद में विषयगत जांच में प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित वही पीसीएन, आवेदकों द्वारा विषयगत वस्तुओं के आयात के संबंध में मूल और हाल ही में संपन्न एसएसआर सीवीडी जांच में भी अनुरोध किए गए थे। पीसीएन के भीतर किसी भी उप-वर्गीकरण के परिणामस्वरूप एक अंतहीन और निरर्थक अभ्यास होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि आवेदकों द्वारा संपन्न एसएसआर सीवीडी जांच के दौरान पीसीएन के भीतर मूल्य समायोजन के लिए ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया था, जिसमें वर्तमान जांच के समान ही जांच की अविध शामिल थी। इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि जे3 (200 शृंखला) और 304 (300 शृंखला) भारत को निर्यात किए जाने वाले मुख्य ग्रेड हैं। अन्य ग्रेड विषयगत देशों से विषयगत वस्तुओं के कुल आयात में 5% से भी कम का गठन करते हैं, जैसा कि आवेदक उद्योग द्वारा 05 जून, 2024 की संशोधित क्षति सूचना में साझा की गई जानकारी से स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। इसलिए, प्राधिकारी ने उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकरण द्वारा पहले से अधिसुचित पीसीएन में कोई मुल्य समायोजन/संशोधन नहीं किया है।
- 125. आवेदकों ने अपने निवेदन दोहराए कि वियतनाम और थाईलैंड में कच्चे माल की कीमतें इन बाजारों में प्रचलित विशेष बाजार स्थिति के कारण कम बताई गई हैं। उत्पादन की लागत के निर्धारण के लिए कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर विचार किया जाना चाहिए। यह ध्यान दिया जाता है कि इस मुद्दे की पहले ही ऊपर जांच की जा चुकी है। प्राधिकारी ने नोट किया कि उत्पादन की लागत (सीओपी) की गणना विषय देशों के निर्यातक या उत्पादक द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड के आधार पर की गई है, जो निर्यातक देश के आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का पालन करता है और विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री से जुड़ी लागतों को उचित रूप से दर्शाता है।

ड. निष्कर्ष

- 126. उठाए गए विवादों, इच्छुक पक्षों द्वारा प्रदान की गई जानकारी और प्रस्तुतियाँ और प्राधिकरण के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि उपरोक्त निष्कर्षों में दर्ज किया गया है, और घरेलू उद्योग के लिए डंपिंग, क्षति और कारण लिंक के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण निम्नानुसार निष्कर्ष निकालता है:
 - I. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद वेल्डेड स्टेनलेस स्टील ट्यूब और पाइप्स हैं जिन्हें टैरिफ टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अध्याय 73 के तहत टैरिफ कोड 7306 40 00, 7306 61 00 और 7306 69 00 के तहत वर्गीकृत किया गया है। घरेलू उद्योग ने सूचित किया है कि संबंधित वस्तुओं का आयात एचएस कोड 7304 11 10, 7304 11 90, 7304 41 00, 7304 51 10, 7304 90 00, 7305 11 29, 7305 90 99, 7306 11 00, 7306 21 00, 7306 29 19, 7306 30 90, 7306 50 00, 7306 90 11, 7306 90 19 और 7306 90 90.
 - II. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद थाईलैंड और वियतनाम से आयातित उत्पाद की वस्तु की तरह है।
- III. आवेदक नियम 2 (बी) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग का गठन करते हैं।

- IV. आवेदन में जांच शुरू करने के उद्देश्य से प्रासंगिक सभी जानकारी थी और आवेदन में वर्तमान जांच शुरू करने को सही ठहराने के लिए पर्याप्त प्रथम दृष्टया सबूत थे। इसके अलावा, आवेदकों ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा प्रासंगिक और आवश्यक समझी जाने वाली सभी जानकारी प्रदान की।
- V. घरेलू उद्योग को निम्नलिखित कारकों द्वारा यथा स्थापित विषय देशों से संबंधित वस्तुओं के आयात के कारण क्षति हुई -
- क. संबंधित वस्तुओं की मांग में गिरावट आई है, हालाँकि 2019-20 और 2020-21 की तुलना में POI में संबंधित देशों से आयात में काफी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, खपत के संबंध में अधीन देशों से आयात में वृद्धि हुई।
- ख. 300 श्रृंखलाओं के लिए विषय देशों की उतराई तक की कीमत घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य से कम है। घरेलू उद्योग को अधीन देशों से कम कीमत वाले आयात के कारण मार्जिन पर समझौता करने के लिए मजबूर किया जाता है।
- ग. घरेलू उद्योग की मांग में उत्पादन, क्षमता, बिक्री की मात्रा और बाजार हिस्सेदारी ने वियतनाम के विरुद्ध सब्सिडी रोधी शुल्क के कारण क्षति की अविध के दौरान सकारात्मक वृद्धि दर्शाई। तथापि, पीओआई में क्षमता उपयोग, निवेश पर आय, नकद लाभ और पीबीआईटी में कमी आई है जिससे पाटनरोधी शुल्क लगाने की आवश्यकता प्रदशत होती है।
- घ. 300 श्रृंखलाओं के थाईलैंड का उतरा हुआ मूल्य वियतनाम से भी कम है। शुल्क न लगाए जाने के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति पहुंच सकती है।
- ङ. विचाराधीन उत्पाद के लिए अतिरिक्त क्षमता विषय देशों के उत्पादकों/निर्यातकों के पास उपलब्ध है। भारत विदेशी देशों के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए एक प्रमुख बाजार है। तदनुसार, शुल्क न लगाने से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।
- च. विषय देशों में उत्पादक तुर्की, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, यूएसए और ब्राजील में व्यापार उपचारात्मक उपायों का सामना कर रहे हैं और इन देशों में निर्यात की मात्रा खो चुके हैं। इसलिए शुल्क नहीं लगाए जाने की स्थिति में ये उत्पादक अपना निर्यात भारतीय बाजार में स्थानांतरित कर सकते हैं।

ढ. सिफारिशें

- 127. प्राधिकरण नोट करता है कि जांच शुरू की गई थी और थाईलैंड सरकार और वियतनाम सरकार सिहत सभी इच्छुक पक्षों को अधिसूचित किया गया था और उन्हें पाटन, क्षिति, कारण लिंक और अनुशंसित उपायों के प्रभाव के पहलू पर जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। पाटनरोधी शुल्क नियमावली के अंतर्गत यथा निर्धारित जांच के उपबंधों के अनुसार जांच शुरू करने और संचालित करने के पश्चात् प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि संबंधित वस्तुओं पर शुल्क लगाया जाना अपेक्षित है।
- 128. कम शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण डंपिंग मार्जिन या क्षित मार्जिन, जो भी कम हो, के बराबर निश्चित एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश करता है, तािक घरेलू उद्योग को होने वाली क्षित को दूर किया जा सके। प्राधिकरण थाईलैंड पर निश्चित एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश करता है, जैसा कि नीचे शुल्क तािलका के कॉलम संख्या 7 में दर्शाया गया है। वियतनाम के संबंध में, संबंधित वस्तुओं के लिए प्रतिकारी शुल्क पहले से ही अनुशंसित हैं, इसिलए, नीचे कॉलम संख्या 7 में उल्लिखित एंटी-डंपिंग शुल्क की मात्रा और देय प्रतिकारी शुल्क, यित कोई हो, के बीच के अंतर के बराबर रािश की सिफारिश की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अविध के लिए एंटी-डंपिंग शुल्क की सिफारिश की जाती है।

<u>शुल्क तालिका</u>

क्र.सं.	शीर्षक/उप	माल क	मूल देश	निर्यात का देश	निर्माता	शुल्क राशि
	शीर्षक	विवरण				(\$एमटी)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	73064000, 73066100,	वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई भी	सोनहा एसएसपी वियतनाम	शून्य**
		और ट्यूब		देश	सोल मेंबर	
	73066900,				कंपनी लिमिटेड	
	73041110,					
	73041190,					
	73044100,					
	73045110,					
	73049000,					
	73051129,					
	73059099,					
	73061100,					
	73062100,					
	73062919,					
	73063090,					
	73065000,					
	73069011,					
	73069019 और					
	73069090#					
2	-वही-	वही-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई भी देश	स्टील 568 कं, लिमिटेड	शून्य**
					उपरोक्त क्रम संख्या 1	
3	वही-	वही-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई भी देश	और 2 के अलावा कोई भी निर्माता	307.79**
			* विषय देशों के			
4	वही-	वही-	अलावा कोई भी देश	वियतनाम	कोई भी निर्माता	307.79**
				थाईलैंड सहित कोई भी देश	आई स्टेनलेस स्टील कंपनी लिमिटेड,	

क्र.सं.	शीर्षक/उप शीर्षक	माल का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	निर्माता	शुल्क राशि (\$एमटी)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	वही-	वही-	थाईलैंड		थाईलैंड	शून्य
6	वही-	वही-	थाईलैंड	थाईलैंड सहित कोई भी देश	उपरोक्त क्रम संख्या 5 के अलावा कोई भी निर्माता	246.49
7	वही-	वही-	* विषय देशों के अलावा कोई भी देश	थाईलैंड	कोई भी	246.49

सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

**उपर्युक्त क्रमांक 1 से 4 के लिए, प्रतिपूरक शुल्कों की सिफारिश डीजीटीआर द्वारा अपनी फाइल संख्या 7/23/2023-डीजीटीआर, दिनांक 15 जून 2024 के माध्यम से विषयगत वस्तुओं के लिए पहले ही की जा चुकी है, इसलिए, उपरोक्त कॉलम संख्या 7 में उल्लिखित पाटन रोधी शुल्क की मात्रा और देय प्रतिपूरक शुल्क, यदि कोई हो, के बीच के अंतर के बराबर राशि की सिफारिश की जाती है।

129. इस अंतिम निष्कर्ष से उत्पन्न पदनामित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील की जाएगी।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (DEPARTMENT OF COMMERCE)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 6th August, 2024

Case No. AD (OI) - 25/2023

Subject: Anti-dumping duty investigation concerning imports of Welded Stainless-Steel Pipes and Tubes originating in or exported from Thailand and Vietnam.

F. No. 6/28/2023-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereafter also referred to as "the Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as "AD Rules" or the "Rules");

A. BACKGROUND OF THE CASE

Stainless-Steel Pipe and Tubes Manufacturer Association, New Delhi, and Stainless Steel Pipes & Tubes Manufacturers Association, Gujarat (hereinafter referred to as the "applicants" or "applicant associations"), filed an application on 31st July 2023 before the Authority in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 (hereinafter referred to as the 'Act') and the Anti-Dumping Rules, 1995 (hereinafter also referred to as the 'Rules or 'AD Rules') for the initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of "Welded Stainless-Steel Tubes and Pipes" (hereinafter also referred to as the 'product under consideration' or the 'PUC', or the 'subject goods') from Thailand and Vietnam (hereinafter also referred to as the 'subject countries'). This

^{*} विषय देशों का मतलब थाईलैंड और वियतनाम है

application, was made on behalf of their members and producers of the subject goods in India. Forty (40) members of the applicants (hereinafter referred to as the "applicant domestic producers" or the "domestic industry") submitted data in accordance with the requirements of Trade Notice 09/2021 dated 29th July, 2021.

2. The Authority, on the basis of sufficient *prima-facie* evidence submitted by the applicants, issued a public notice *vide* Notification No. 6/28/2023-DGTR dated 30th September, 2023, published in the Gazette of India – Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with the Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. **PROCEDURE**

- 3. The procedre described herein below has been followed in the present investigation:
 - i. The Authority, under the above Rules, received a written application from the applicants on behalf of the domestic industry contending injury to the domestic industry due to imports of the product under consideration from the subject countries.
 - ii. The Authority notified the embassies of Thailand and Vietnam in India about the receipt of the application before initiation the investigation in accordance with Rule 5(5).
 - iii. The Authority *vide* Notification No. 06/28/2023 dated 30th September 2023, published a public notice in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the anti-dumping duty investigation on imports of the subject goods from the subject countries.
 - iv. A copy of the public notice was forwarded by the Authority to the embassies of the subject countries in India, known producers/exporters from the subject countries, known importers/users in India and other interested parties, as per the information available, to inform them about initiation of the subject investigation in accordance with Rule 6(2) of the Rules.
 - v. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters, and to the governments of the subject countries through their embassies in India, and to other interested parties who made a request therefor in writing in accordance with Rule 6(3) of the Rules. A copy of the non-confidential version of the application was also provided to other interested parties, wherever requested.
 - vi. The Authority forwarded a copy of the public notice initiating the anti-dumping duty investigation to the known producers / exporters in the subject countries, and other interested parties and provided them an opportunity to file response to the questionnaire in the form and manner prescribed within the time limit as prescribed in the initiation notification or extended time limit, and make their views known in writing in accordance with the Rule 6(4) of the Rules. The Authority also issued economic interest questionnaire to all the interested parties and the concerned ministry.
 - vii. The Authority forwarded the exporters' questionnaires to the following known producers/ exporters in the subject countries:
 - a. Dockweiler Asia Co. Ltd., Thailand
 - b. I Stainless Steel Co Ltd., Thailand
 - c. Ishwar Profiles (Thailand) Co Ltd., Thailand
 - d. Lohathai Stainless Co. Ltd., Thailand
 - e. Toyo Millennium Co., Ltd., Thailand
 - f. Thai German Products Public Company Ltd., Thailand
 - g. Maytun International Corp, Thailand
 - h. Metalman Exim (Singapore)Pte, Thailand
 - i. CSE Technologies Co. Ltd., Thailand
 - j. Gia Anh Hung Yen Company Limited, Vietnam
 - k. Gia Anh Joint Stock Company, Vietnam
 - 1. Ha Anh Stainless Steel Company Limited, Vietnam
 - m. Inox Hoa Binh, JSC, Vietnam
 - n. Minh Huu Lien JSC, Vietnam

- o. Nam Cuong Metal Company Limited, Vietnam
- p. Oss Dai Duong International Joint Stock Company, Vietnam
- q. Sonha International Corporation, Vietnam
- r. Steel 568 Co., Ltd., Vietnam
- s. Tap International, JSC, Vietnam, Vietnam
- t. Tuan Dat Metal Company Limited, Vietnam
- u. Vinainox, Vietnam
- v. Vinlong Stainless Steel (Vietnam) Co., Ltd., Vietnam
- viii. The governments of the subject countries, through their embassies in India were also requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the known producers/exporters was also sent to the embassies of the subject countries along with the details of the known producers/ exporters.
- ix. The following producers/exporters from the subject countries filed a response to the exporters' questionnaire:
 - a. I Stainless Steel Co Ltd., Thailand
 - b. Sonha International Corporation, Vietnam
 - c. Steel 568 Co., Ltd., Vietnam
 - d. TVL Steel Production and Construction Joint Stock Company, Vietnam
 - e. Gia Anh Hung Yen Company Limited, Vietnam
 - f. OSS Daiduong International Joint Stock Company, Vietnam
- x. The Authority forwarded a copy of the notification to the known importers/ users of subject goods in India calling for necessary information. In response to the notification, none of the importers/users has responded by filing questionnaire response.
- xi. The Authority issued economic interest questionnaire to the embassy of the subject countries, all the known exporters, importers and the domestic industry. The economic interest questionnaire was also shared with the administrative line ministry. Response to Economic Interest questionnaire has been filed only by the applicants and cooperating producers / exporters *viz.* I Stainless Steel Co Ltd., Sonha International Corporation and Steel 568 Co., Ltd.
- xii. The interested parties were granted an opportunity to present their comments on the scope of the PUC and propose product control numbers (PCNs), if required, within a period of 15 days from the date of the circulation of the non-confidential application for the sake of fair comparison. After considering the comments received from the interested parties, PUC/PCNs were notified *vide* notice dated 15th April, 2024.
- xiii. A list of all interested parties was uploaded on the DGTR's website, along with a request for all the parties to email the non-confidential version of their submissions to each of the interested parties.
- xiv. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is 1st April 2022 to 31st March 2023 (12 months). The injury analysis period covers 2019- 20, 2020-21, 2021-22 and the period of investigation.
- xv. The applicants submitted that they did not have access to DGCI&S transaction-wise data and hence, the information regarding imports into India was provide as per the market intelligence. A request was made by the Authority to the Directorate General of Systems ("DG Systems") to provide transaction-wise details of imports of the subject goods for the past three years and the period of investigation, which was received by the Authority.
- xvi. The application for initiation of the present investigation was made by the applicant associations on behalf of the domestic industry under Trade Notice 09/2021. The application was filed by the domestic industry, accompanied by data from 18 entities. The Authority is cognizant of the fact that over 100 Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) produce the subject goods across the country. The Authority sought to ascertain whether the trends observed in the data of the 18 companies were representative of the broader industry. To this end, the Authority requested additional data from companies affiliated with the associations. The applicant has submitted brief injury data of 22 more entities. The analysis of this expanded data set of 22 entities revealed that all major economic parameters aligned with the trends identified in the initial data of 18 entities. Owing to the presence of large number of producers within the MSME sector in India manufacturing the subject goods, and the

- complexity involved in handling large amount of data, the Authority opted for sampling in the present investigation.
- xvii. The Authority sought further information from the sampled domestic producers to the extent deemed necessary. The verification of the data provided by the sampled domestic producers was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation. The Authority has considered the verified data of the sampled domestic producers in its analysis in the present case.
- xviii. The Authority sought further information from the other interested parties to the extent deemed necessary. The verification of the data provided by the other interested parties was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation. The Authority has considered the verified data of the interested parties in its analysis in the present case.
- xix. The non-injurious price has been determined based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India as per information furnished by the domestic industry and in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III of AD Rules, 1995.
- xx. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 10th June 2024. The parties, which had presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- xxi. The submissions made by the interested parties, arguments raised and information provided by various interested parties during the course of the investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority in this final findings.
- xxii. The Authority, during the course of the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of this final findings to the extent possible and verified the data/ documents submitted by the domestic industry to the extent considered relevant, practicable and necessary.
- xxiii. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis
- xxiv. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority considered such interested parties as non-cooperative and recorded this final finding on the basis of the facts available.
- xxv. A disclosure statement containing the essential facts of the investigation which have formed the basis of the final findings was issued to the interested parties on 15th July, 2024 and the interested parties were allowed time up to 21st July, 2024 to comment on the same. The comments to disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant and non-repetitive, in this final finding notification.
- xxvi. *** in this final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- xxvii. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$ = ₹81.06.

C. SCOPE OF PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C1. SUBMISSIONS BY OTHER INTERESTED PARTIES

- 4. One of the interested parties requested the Authority to adopt the PCNs considered in the original CVD investigation [F. No. 6/22/2018-DGAD dated 31st July, 2019] on the subject goods in the ongoing anti-dumping investigation, which are provided below
 - a) 200 Series
 - b) 300 Series
 - c) 400 Series

- 5. Some interested parties have requested not to accept the demand of the applicant industry to revise the PCNs at the belated stage of the investigation or making adjustments in prices considering the following reasons:
 - i. The PCNs were notified as requested by the applicant industry in its application.
 - ii. Despite being fully aware that subject goods of 316 grade were also imported from the subject countries during the period of injury, the applicant industry has not requested to make grade-wise PCNs since they were fully aware that the 316 grade is imported in very small quantity, and therefore, will not have material impact on the duty determination.
 - iii. Due process of the law was followed before notifying the PCNs. Hon'ble Authority had granted full opportunity to all interested parties to offer comments on PCNs to make fair comparison in terms of Article 2.4 of the WTO agreement and Annexure I, paragraph 6 of the Anti-dumping Rules, 1995. After considering the submissions of all the interested parties including the applicant industry, PCNs were notified by the Authority.
 - iv. The applicant industry is making an attempt to agitate the same argument through a circuitous route. It is important to note that it is the PCN methodology which is the mechanism to ensure fair comparison in terms of Article 2.4 of the WTO agreement and Annexure I, paragraph 6 of the Anti-dumping Rules, 1995. As a matter of record, the Authority has followed the same methodology by prescribing the PCNs after consulting all stakeholders. Further, while ascertaining the PCNs, all material parameters having impact on the cost and price of the subject goods are duly captured in the PCNs to ensure fair price comparability based on the comments filed by the interested parties including the applicant industry.
 - v. The interested parties were asked to file their responses considering the PCNs notified by the Authority. It will create an undue hardship to the interested parties to again file the response based on new set of PCNs to suit the need of the applicant industry.
 - vi. Same PCNs were adopted in the original as well as in the SSR CVD investigations on the subject goods.
 - vii.J3 and 304 are the main grades exported to India. Other grades constitute even less than 5% in the total imports of the subject goods from the subject countries as clearly evidenced from the information shared by the applicant industry in its revised application dated 05 June, 2024.
 - viii.Request for PCNs or modification of PCNs or adjustment in price at a belated stage is not accepted in plethora of investigations including Anti-dumping Investigation concerning imports of "Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR)" into India originating in or exported from China PR, European Union (EU), Japan and Russia.
 - ix. CSE Technologies Co. Ltd., Thailand has submitted that, they are an authorized manufacturer of welded tubes for ASME BPE, DIN, 3A, BS, and SMS Standards, used in the pharmaceutical, biotechnology, and food industries globally. These standards are not produced in India due to their critical applications in these industries. Further, ASME BPE Grade Stainless Steel tube material is superior to conventional SS316L, ensuring quality and integrity in life-saving drugs, vaccines, aseptic liquid food products, and long-life packed foods. Hence, these grades should be excluded from the scope of the PUC.

C2. SUBMISSIONS BY THE DOMESTIC INDUSTRY

- 6. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the scope of product under consideration or like article.
 - a. The product under consideration is Welded Stainless-Steel Pipes and Tubes. The subject goods are made up of 200, 300 and 400 series. Accordingly, the PCN has been formed based on the raw material used.
 - b. The subject goods produced by the domestic industry are like article to product under consideration imported from the subject countries.
 - c. In post oral hearing submissions, the applicant industry has submitted that there is a need for further bifurcation of the PCN in different grades or, in the alternative, making adjustments for fair comparison.
 - d. There is no need for exclusion of ASME certified tubes from the scope of the product under consideration

C3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

- 7. The product under consideration in the present investigation is Welded Stainless Steel Tubes and Pipes. The product under consideration is manufactured using stainless steel sheet, skelp, coil or plates. The raw material is formed into required shape and welded through suitable welding process.
- 8. The product under consideration is classified under Chapter 73 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) under the tariff codes 7306 40 00, 7306 61 00 and 7306 69 00. The domestic industry has submitted that the subject goods are also being imported under the HS Codes 7304 11 10, 7304 11 90, 7304 41 00, 7304 51 10,

7304 90 00, 7305 11 29, 7305 90 99, 7306 11 00, 7306 21 00, 7306 29 19, 7306 30 90, 7306 50 00, 7306 90 11, 7306 90 19 and 7306 90 90. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.

9. Based on the comments received from the interested parties, the Authority found it appropriate to adopt PCN methodology for fair comparison in terms of Article 2.4 of the WTO agreement and Annexure I, paragraph 6 of the Anti-dumping Rules, 1995. The following PCNs were finalized by the Authority.

SN	PCN Parameter (Grade of Steel)	Code
1.	200 series	2S
2.	300 series	38
3.	400 series	48

- 10. The Authority notes that the subject goods produced by the domestic industry and that imported from the subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. In view of the same, Authority holds that the goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from the subject countries.
- 11. As regards the request of the applicants to make adjustments in price for fair comparison, the Authority notes that an opportunity was granted to the interested parties including the applicants to provide their comments on the scope of the PUC and propose product control numbers (PCNs), if required, for the sake of fair comparison in terms of Article 2.4 of the WTO agreement and Annexure I, paragraph 6 of the Anti-dumping Rules, 1995 within a period of 15 days from the date of the circulation of the non-confidential application. After considering the comments received from the interested parties, PCNs were notified *vide* notice dated 15th April, 2024. Further, it is noted that J3 (200 series) and 304 (300 series) are the main grades exported to India. Other grades constitute even less than 5% in the total imports of the subject goods from the subject countries as clearly evidenced from the information shared by the applicant industry in its revised injury information dated 05 June, 2024. It is also noted that the PCNs notified by the Authority were requested by the applicants even in the original and SSR CVD investigations against imports of the subject goods. Therefore, the Authority has not made any price adjustments/modifications in the PCNs already notified by the Authority.
- 12. CSE Technologies Co. Ltd., Thailand claimed during the oral hearing held on 10th June 2024 that the product produced and sold by them are ASME certified specialty products which are not produced in India. The producer also claimed that such product is priced 6 to 10 times higher than the other grades of the product under consideration and requested to exclude the same from the scope of the product under consideration. The Authority notes that CSE Technologies Co. Ltd. had neither filed comments on the PUC / PCNs as per the timeline prescribed in the initiation notice nor filed the questionnaire response. Further, it is noted that this issue has already been dealt by the Authority in its findings on the subject goods issued in the mid-term review investigation of the anti-subsidy duty imposed on imports from China and Vietnam [F. No. 7/45/2020-DGTR] dated 8th February 2022 wherein the Authority held that ASME-BPE certification is production process-based certification. ASME-BPE certificate does not relate to specifications of a product and there is no need for exclusion of such product from the scope of the product under consideration. In view of the same, the Authority notes that no exclusion is warranted for ASME certified tubes.
- 13. The Authority taking into consideration all the issues presented before it, holds that the PUC in the subject investigation is Welded Stainless Steel Tubes and Pipes which is manufactured using stainless steel sheet, skelp, coil or plates. The following PCNs were finalized by the Authority for the purpose of this investigation:

SN	PCN Parameter (Grade of Steel)	Code
1.	200 series	2S
2.	300 series	3S
3.	400 series	4S

D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D1. SUBMISSIONS BY THE OTHER INTERESTED PARTIES

- 14. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the domestic industry and standing.
 - a. None of the domestic producers constituting domestic industry has filed Annexure II in accordance with Trade Notice 09/2021. Accordingly, the present investigation should be terminated immediately.
 - b.The Authority may not accept the response submitted by the domestic producers voluntarily since such producers may be those with high cost of sales which are suffering injury on account of internal reasons. Trade Notice 09/2021 prescribes sample selection based on statistically valid techniques in order to ensure fairness and transparency.

D2. SUBMISSIONS BY THE DOMESTIC INDUSTRY

- 15. The following submissions have been made by the applicants with regard to the domestic industry and standing:
 - a. The application has been filed by Stainless Steel Pipe and Tubes Manufacturer Association, New Delhi and Stainless Steel Pipes & Tubes Manufacturers Association, Gujarat under Trade Notice 09/2021 on behalf of the domestic industry.
 - b. The Indian industry is composed of more than 100 producers. 40 members of the applicant associations have filed data for the purpose of the present investigation.
 - c. The applicant domestic producers accounted for more that 25% of the total Indian production.
 - d.At the time of filing the application, 18 producers submitted their data for the purpose of the present investigation. The said domestic producers accounted for more than 25% of total Indian production at the stage of filing the application. Post filing of the application, 22 other domestic producers provided relevant information. The said 40 domestic producers account for more than 50% of the total domestic production in India.
 - e. The applicant domestic producers have not imported the product under consideration from the subject countries and are not related to any exporter/importer.
 - f. The total Indian production has been determined based on raw materials supplied for production of subject goods as estimated by Jindal Stainless Steel Limited ("JSSL"), one of the largest Indian producers of upstream product catering to approximately ***% of domestic demand.
 - g. Five sampled producers as well as seven other producers have filed complete cost data for the purpose of the present investigation. The Authority may choose to add any of the volunteering producer for their micro analysis.

D3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

- 16. The application for initiation of the present investigation has been filed by two registered associations of the producers of subject goods in India under Trade Notice 09/2021. The application has been filed by Stainless Steel Pipe and Tubes Manufacturer Association, New Delhi and Stainless-Steel Pipes & Tubes Manufacturers Association, Gujarat on behalf of the domestic industry.
- 17. The Authority notes that the present investigation involves producers in MSME segment. The Indian industry manufacturing the subject goods is fragmented in nature and there are more than 100 producers of subject goods in India.
- 18. The applicants have submitted that since there are a number of producers in India, they do not have access to the total production of subject goods in India. In order to determine the total Indian production, the Authority has relied on the information filed by Jindal Stainless Steel Limited ("JSSL"). As per the information on record JSSL is the largest supplier of raw material, that is, stainless-steel coils for production of the subject goods in India. JSSL accounts for approximately ***% of the market share of demand of raw material in India. JSSL has supplied ***MT of raw material in India during the period of investigation. In order to determine the total Indian production, the Authority has considered the standard input output norm (SION) of 1.05.

Particulars		Quantity (MT)
Coil Supplied by Jindal	A	***
Coil supplied by others	B = A/70%*30%	***
Total Coil supplied	C = A + B	***

Estimated Indian production*	D = C/1.05	***
Range	MT	2,50,000-3,50,000

*consumption norm of 1.05

- 19. Rule 2(b) of the Anti-dumping Duty Rules defines domestic industry as under:
 - "(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the "domestic industry" may be construed as referring the rest of the producers."
- 20. The Authority notes that the associations have acted on behalf of domestic producers. The applicant domestic producers (forty) account for more than 50% of the total domestic production in India. In view of the same, it is noted that the applicants constitute 'domestic industry' within the meaning of Rule 2(b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.
- 21. The other interested parties have argued that the data submitted voluntarily by certain producers should not be used, as it may lead to data distortion. The Authority notes that when the number of producers is large and these producers are MSMEs and fragmented, the Rules permit the use of sampling techniques to facilitate the investigation. It is practically impossible to assess, analyze, and verify the data from 100 different producers within a limited timeframe. The sampling technique employed in this case utilized various statistical features to select those producers whose data accurately reflect the industry's overall condition. Regarding the contention that the voluntarily submitted data by the domestic producers should be disregarded, the Authority notes that a statistically valid sampling technique has been applied to minimize the risk of manipulation by the applicant producers. Moreover, no concrete evidence has been presented by any interested parties, aside from mere allegations, to prove that the data voluntarily submitted by domestic producers is manipulative. In any event, the Authority has based its examination and analysis on the data provided by the sampled producers.

E. CONFIDENTIALITY

E1. SUBMISSIONS BY OTHER INTERESTED PARTIES

- 22. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to confidentiality.
- a. The applicant associations have not filed documents as per the requirement of Trade Notice 09/2021. In case such documents have been filed, the same may be provided to the other interested parties along with an opportunity for an oral hearing.
- b. The applicants have claimed excessive confidentiality regarding sales value, list of members of associations who have supported or opposed the investigation has been claimed confidential. According to Trade Notice 10/2018, the domestic industry has to disclose actual information in case of multiple producers. Confidentiality should not be granted automatically but a thorough examination of the same is required as held by the Supreme Court in Sterlite Industries (India) Ltd. V. Designated Authority.
- c. The applicants must show good cause in order to claim confidentiality as held by the Appellate Body in EC Certain Iron or Steel Fasteners from China. The Authority may direct the domestic industry to file a proper non-confidential version of the petition as instructed in investigation on clear float glass.

E2. SUBMISSIONS BY THE DOMESTIC INDUSTRY

- 23. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality:
 - a. Cooperating producers / exporters have claimed excessive confidentiality.
 - b. As opposed to the contention of the other interested parties, documents of associations cannot be disclosed as they contain business proprietary information which cannot be shared with the other interested parties.
 - c. The comments on confidentiality filed by the other interested parties are belated in nature as the same have been filed post 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the petition.
 - d. While the applicants have disclosed aggregate actual information with regard to volume parameters, price parameters are confidential business sensitive information disclosure of which will provide undue benefit to the competitors.

E3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

- 24. With regard to confidentiality of the information, the Rule 8 of the Anti-dumping Duty Rules provides as follows:
 - "(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.
 - (2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible.
 - (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."
- 25. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidence submitted by various interested parties by directing the interested parties to share the non-confidential version of the submissions with each other through e-mails.
- 26. The other interested parties have contended that the applicants have not shared the documents of the associations. The Authority notes that the documents of the associations contain minutes of meetings, by-laws of the association as well as the memorandum of association which contains the business proprietary information and cannot be disclosed to the other interested parties.
- 27. The applicants have provided actual aggregate information with regard to the volume parameters in the non-confidential version of the application. The Authority notes that the applicants have claimed price information as confidential business proprietary information. The Authority notes that since there are a number of producers in India competing in the same market at similar prices, disclosure of average aggregate prices will also provide estimated selling price of the applicant domestic producers to other producers in India. Disclosure of such information will provide undue advantage to the other interested parties. Accordingly, the Authority has accepted the claim of confidentiality over such information. The applicants have provided a detailed good cause statement in the application for such confidentiality.

F. <u>MISCELLANEOUS ISSUES</u>

F1. SUBMISSIONS BY OTHER INTERESTED PARTIES

- 28. The claim made by the applicant industry that the raw material prices in Vietnam and Thailand are understated, due to particular market situation prevalent in these markets, and therefore, the international prices of raw materials should be considered for determination of the cost of production is grossly incorrect on account of the following reasons:
 - a) Imports of raw material by Vietnamese and Thailand producers without basic customs duties under Free Trade Agreement (FTA) is not a particular market situation in terms of Article 2.2 of the WTO agreement and Section 9A(1)(c)(ii) of the Customs Tariff Act, 1975 as evidenced from the following reasons:
 - The same raw material is used in the manufacture of the subject goods sold both in both domestic and Indian market. The price comparability of selling price in the domestic sales and India market is not impacted.
 - Not even a single case has been cited wherein imports of raw material duty free under FTA had been considered as a ground for the existence of the particular market situation.
 - The applicant industry has raised the issue of imports of raw material without basic customs duties under FTA against Vietnamese producers in the original and SSR CVD investigations on the same subject goods. However, the Authority had not accepted their claim.

- b) Without prejudice to the above, it is submitted that no submission has been made by the applicant industry to show that usage of imported raw material without basic customs duties under FTA impacted price comparability of sales made in the domestic and Indian market.
- c) The word "normal" used in Article 2.2.1.1 and para no. 1 of Annexure 1 of the Anti-dumping Rules, 1995 means that the costs shall normally be calculated on the basis of records kept by the exporter or producer under investigation and such records are in accordance with the generally accepted accounting principles of the exporting country and reasonably reflect the costs associated with the production and sale of the product under consideration. The costs claimed by the respondents are based on their records, which are maintained as per their GAAP.
- d) As regard the claim made by the applicant industry that the Authority found subsidy on the raw material imported by the subject countries from China and Indonesia, it is submitted that the applicant industry had raised the same issue in the original and SSR CVD investigations against Vietnamese producers on the same subject goods. However, the Authority had not rightly accepted their claim. Further, this issue shall not be considered in this investigation as it is out of the scope of the AD agreement / law.
- e) Accepting the illogical and ill-conceived contention of the applicant industry would mean that the particular market situation / subsidy is also existing in India since most of the Indian producers are also importing raw materials including of the subject goods without basic customs duty from China PR or other countries under FTA.
- 29. With regard to the findings cited by the applicant to claim existence of particular market situation in Thailand and Vietnam, it is submitted that the same are misplaced as none of the investigating authorities had concluded existence of particular market situation on account of import of raw materials without basic customs duties under FTA.

F2. SUBMISSIONS BY THE DOMESTIC INDUSTRY

- 30. Raw material prices in Vietnam and Thailand are understated, due to particular market situation prevalent in these markets as producers of the subject countries are importing raw materials from China and Indonesia duty free under FTA. Further, the Designated Authority has already found that there are significant subsidies being allowed by the Government of China and Indonesia with respect to the raw material. Therefore, the international prices of raw materials should be considered for determination of the cost of production.
- 31. Article 2.2.1.1. of the Anti-dumping Agreement provides that for determination of cost of production of the subject goods, the Authority must normally calculate the cost based on the records of the producer, where such records are as per the GAAP of the country and reasonably reflect the costs related to the production.

F3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

32. The applicants have claimed that raw material prices in Vietnam and Thailand are understated since the subject countries are procuring the raw material from China and Indonesia, where due to particular market situation the raw material prices are subsidized; therefore, the international prices of raw materials should be considered for determination of the cost of production. In this regard, the Authority notes that Para 1 of Annexure-I of AD Rules, 1995 states as under:

"elements of costs referred to in the context of determination of normal value shall normally be determined on the basis of records kept by the exporter or producer under investigation, provided such records are in accordance with the generally accepted accounting principles of the exporting country, and such records reasonably reflect the cost associated with production and sale of the article under consideration."

33. In view of the above para 32, the calculation of Cost of Production (COP) has been done based on the records maintained by the exporter or producer of subject countries, which duly adheres to the generally accepted accounting principles of the exporting country and reasonably represent the costs associated with the production and sale of the product under consideration. Further, the determination of Cost of Production (COP) aims to accurately represent the actual expenses incurred by a specific producer-exporter during the Period of Investigation (POI), rather than aiming for an ideal or suitable cost. It is imperative that COP reflects these actual production costs and does not artificially increase to offset subsidies, if any.

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE & DUMPING MARGIN

G1. VIEWS OF OTHER INTERESTED PARTIES

34. The other interested parties have made the following submissions with regard to normal value, export price and dumping margin:

- i. The producer/exporter has fully cooperated in the investigation, the margins must be determined as per the response filed and an individual duty may be granted to it.
- ii. Most Indian producers of the subject goods also import raw materials from China PR. Any claims of pass through of benefits would mean that the Indian producers are also getting subsidy on the raw materials imported from China PR.

G2. VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

- 35. The domestic industry has made the following submissions with regard to normal value, export price and dumping margin:
 - i.Reject response of Steel 568 Co., Ltd., Sonha SSP Vietnam Sole Member Company Ltd. and TVL since complete information was not filed in their response.
 - ii. The producers / exporters have suppressed relevant information and have failed to provide a complete response, rendering their response fit for rejection.

G3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

- 36. Under section 9A(1)(c), the normal value in relation to an article means:
 - i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or
 - ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:
 - (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
 - (b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6).

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely trans-shipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

- 37. The Authority notes that the following exporters of the subject goods have filed exporter's questionnaire responses:
 - a) I Stainless Steel Co., Ltd., Thailand
 - b) Steel 568 Co. Ltd., Vietnam
 - c) Sonha SSP Vietnam Company Ltd., Vietnam
 - d) TVL Steel Production and Construction Joint Stock Company, Vietnam
 - e) Gia Anh Hung Yen Company Limited, Vietnam
 - f) OSS Daiduong International Joint Stock Company, Vietnam
- 38. As regards TVL, the Authority notes that the data provided by TVL reveals that TVL exported only *** MT in the year 2021-2022 and *** MT during the period of investigation (POI), constituting *** % and *** % of the total imports into India, and *** % of the total demand in India, respectively. Furthermore, it is noted that the exports to India amount to *** % of TVL's total production during the specified periods—a figure substantially lower in both number and percentage compared to the exports made by other cooperating producers from the subject country. It is further noted that TVL's third-country exports amounted to *** MT, representing merely *** % of its total production, *** % of its domestic sales, and *** % of the total imports to India during the POI.
- 39. Since the quantity exported to India by TVL is very low, the Authority therefore needs to have a deeper scrutiny of the export price to assure itself that the export price of the limited exports from TVL truly reflects its price and has not been influenced by the prevailing anti-subsidy duties on imports from the subject country. In order to re-assure itself, the Authority has looked at TVL's exports to third countries. The purpose of this inquiry is to ascertain whether the export price of TVL to third countries was comparable to its export price to

- India and reach to a conclusion that the export price of TVL with such export volume is on an 'arm's length basis'. However, TVL's exports to third countries is also very low as deliberated in paragraph no. 36.
- 40. In light of the aforementioned facts and circumstances, the Authority is unable to accept the export prices of TVL to India with such a low volume of exports, and hence, rejected TVL's claim for the grant of an individual rate of duty.
- 41. The Authority notes that the exporter/producers Gia Anh Joint Stock Company and OSS
 - Dai Duong International Joint Stock Company have participated and filed exporter questionnaire in the present investigation. However, in the response, it is reflected that they have not made any export of subject good to India during the POI, which has also been verified from the DG Systems data. Hence, in the absence of exports to India, the individual injury and dumping margin for these two exporter/producers of Vietnam cannot be determined. Therefore, the Authority has not granted an individual rate of duty to both the producers.
- 42. With regards to filing of incorrect and incomplete questionnaire response, it is noted that the Authority has verified the information provided by the cooperating producers and found the same in agreement with their books of accounts. It is also noted that the Steel 568 Co. Ltd., Vietnam and Sonha SSP Vietnam Company Ltd., Vietnam have only one plant each for the manufacturing of subject goods.

G.3.1(a) Normal value for Vietnam

Normal value for co-operating producer -Steel 568 Co. Ltd.

43. The producer / exporter has reported domestic sales of *** MT in the period of investigation. The producer has claimed that all domestic sales are made to unrelated parties. The producer has claimed domestic sales on exworks basis. The Authority conducted the ordinary course of trade test. It is noted that the subject producer has not been able to qualify the ordinary course of trade test and therefore, the Authority has considered it appropriate to determine normal value in the present case on the basis of profitable sales transaction. The Authority has undertaken desk verification and examined the claims made by the respondent. The claims made and as verified have been accepted. The normal value so determined is given below in the dumping margin table

Normal value for co-operating producer - Sonha SSP Vietnam Company Ltd.

44. The producer / exporter has reported domestic sales of *** MT in the period of investigation. The producer has claimed that minuscule quantity of the domestic sales were made to related parties mainly for captive consumption. The producer has claimed adjustment on account of inland transportation etc. The Authority conducted the ordinary course of trade test. It is noted that the subject producer has not been able to qualify the ordinary course of trade test and therefore, the Authority has considered it appropriate to determine normal value in the present case on the basis of all profitable sales transactions. The Authority has undertaken desk verification and examined the claims made by the respondent. The claims made and as verified have been accepted. The normal value so determined is given below in the dumping margin table.

Normal value for non-cooperating producers

45. The normal value for non-cooperative producers/exporters from Vietnam has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

G.3.1(b) Export price for Vietnam

Export price for co-operating producer - Steel 568 Co. Ltd.

- 46. The producer has reported *** MT as exports of the product under consideration to India during the period of investigation. The producer has claimed that it has directly exported the product to India and no other related/unrelated party/s is involved in the export of the product under consideration. The producer has claimed adjustment on account of ocean freight, marine insurance, inland transportation and other charges.
- 47. The Authority has undertaken desk verification and examined the claims made by the respondent. The adjustments claimed by the respondent have been allowed. The net export price so determined is given below in the dumping margin table.

Export price for co-operating producer - Sonha SSP Vietnam Company Ltd.

- 48. The producer has reported *** MT as exports of the product under consideration to India during the period of investigation. The producer has claimed that it has directly exported the product to India and no other related/unrelated party is involved in the export of the product under consideration. The producer has claimed adjustment on account of ocean freight, marine insurance, inland transportation and other charges.
- 49. The Authority has undertaken desk verification and examined the claims made by the respondent. The adjustments claimed by the respondent have been allowed. The net export price so determined is given below in the dumping margin table.

Export price for non-cooperating producer

50. The export price for non-cooperative producers/exporters from Vietnam has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The net export price so determined is mentioned in the dumping margin table below.

G.3.2(a) Normal value for Thailand

Normal value for co-operating producer - I Stainless Steel Co., Ltd.

51. The producer has not sold the subject goods in their domestic market. The exporter has claimed normal value based on its cost of production. The Authority notes that in a situation where there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country, the normal value shall be either comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country or the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits. The Authority has, therefore, considered it appropriate to determine normal value in the present case on the basis of cost of production data furnished by the exporter plus a reasonable profit margin. The Authority has undertaken desk verification and examined the claims submitted by the respondent. The normal value so determined is given below in the dumping margin table.

Normal value for non-cooperating producers

52. The normal value for non-cooperative producers/exporters from Thailand has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

A.3.2(b) Export price for Thailand

Export price for co-operating producer - I Stainless Steel Co., Ltd.

- 53. The producer has reported *** MT as exports of the product under consideration to India during the period of investigation. The producer has claimed that it has directly exported the product to India and no other related/unrelated party is involved in the export of the product under consideration. The producer has claimed adjustment on account of ocean freight, marine insurance, inland transportation and other charges.
- 54. The Authority has undertaken desk verification and examined the claims made by the respondent. The adjustments claimed by the respondent have been allowed. The net export price so determined is given below in the dumping margin table.

Export price for non-cooperating producer

55. The export price for non-cooperative producers/exporters from Thailand has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The net export price so determined is mentioned in the dumping margin table below.

A.3.3 <u>Dumping Margin</u>

56. Based on the normal value and export price determined above, the dumping margin for the participating and non-participating producers has been determined and is shown below.

SN	Particular	Normal Value	Net Export Price	Dumping Margin	CIF	Dumping Margin (based on CIF value)	Dumping Margin Range
		(USD/MT)	(USD/MT)	(USD/MT)	(USD/MT)	%	%
1	Vietnam						
a	Steel 568 Co. Ltd.	***	***	***	***	***	Negative
b	Sonha SSP Vietnam Company Ltd.	***	***	***	***	***	De-minimis
С	Any other	***	***	***	***	***	10-20
2	Thailand						
a	I Stainless Steel Co., Ltd.	***	***	***	***	***	Negative
b	Any other	***	***	***	***	***	10-20

H. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

H1. SUBMISSIONS BY OTHER INTERESTED PARTIES

- 57. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the dumping, injury and causal link:
 - a. The applicant industry filed the injury information of 18 Indian producers in the original application. However, the applicant industry has filed the revised injury information of 40 Indian producers only on 5th June, 2024. We request the Authority not to allow such drastic changes in the application.
 - b.The domestic industry has not suffered injury on account of imports from the subject countries. This is evident from the fact that the capacities, production, domestic sales, domestic selling price, PBIT, cash profits and return on investment of the domestic industry have increased.
 - c. There is no injury to the domestic industry due to imports from the respondents as the import price of the respondents has increased and was the highest during the period of investigation.
 - d. The injury suffered by the domestic industry, if any, is only due to imports from China. This is due to the fact that the Chinese imports are undercutting the prices of the domestic industry by 30-40%.
 - e. The import price from Vietnam has increased and is much higher than import price from other countries which indicates that exporters are selling at fair prices even in the absence of customs duty.
 - f. Ignoring those imports where the landed price of imports is higher than the non-injurious price of the domestic industry for the purpose of injury margin means zeroing. This unprecedented proposition is completely against the legal provisions and the logic of applying the "lesser duty rule" through the mechanism of injury margin. It may not be out of place to mention that "zeroing" has been considered as illegal even for the purpose of dumping margin calculation by the WTO rulings.
 - g. The entire anti-dumping investigation and consequent recommendations have to be within the specific mandate of law. If the Authority finds no dumping / subsidization or injury against any producer / exporter, it would be preposterous to suggest that the imports from such exporters led to "undermining" of the recovery of the domestic industry.
 - h.The Indian industry has not forecasted the demand properly and taken a wrong decision to increase their capacity abnormally by ***%, which significantly increased their fixed cost salaries, interest and other fixed costs.
 - i. BIS is applicable on raw material (steel coil) used in the manufacture of the subject goods. Accordingly, Indian producers of the subject goods are forced to buy raw material at high (uncompetitive) cost from Indian producers since either BIS license is not available with majority of the foreign producers or the BIS Authority is not renewing their license. The renewal applications of most of the foreign producers are pending since last 10-15 months.

H2. SUBMISSIONS BY THE DOMESTIC INDUSTRY

- 58. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the injury and causal link of dumping and injury:
 - a. The imports from Vietnam have increased in absolute terms. The increase in imports is from importers not subject to anti-subsidy duty.
 - b.Imports from producers in Vietnam exempted from anti subsidy duties have increased much more than the increase in demand.
 - c. The market share of imports from producers in Vietnam exempted from CVD duties has increased. Such imports have taken away the potential and existing market share of the domestic industry.
 - d. The market share of the Indian industry is much lower than the market share held by the Indian industry prior to the original period of investigation.
 - e. The domestic industry has enough capacity to cater to the entire demand in India. Hence, reliance on imports is totally unnecessary.
 - f. The imports from Vietnam are undercutting the prices of the domestic industry on average basis. The price undercutting on PCN wise basis is higher.

- g.The capacity utilization of the domestic industry has declined over the injury period and was the lowest during the period of investigation.
- h. The landed price of imports from Vietnam was below the cost of sales of the domestic industry.
- i. The domestic industry has been forced to compromise on margins due to low-priced imports from Vietnam. The profitability and return on investment of the domestic industry have declined.
- j. The raw material is being transferred from China to Vietnam especially after imposition of anti-subsidy duty and anti-dumping duty in India on imports of raw material from China.
- k.The Authority, in Hot Rolled and Cold Rolled Stainless Steel Flat Products held that there are significant subsidies being provided to the raw material manufacturers in China and Indonesia. The benefits of such subsidies have been passed through to producers in Vietnam and Thailand. Therefore, particular market situation exists in Vietnam and Thailand.
- l. A number of countries such as Türkiye, Eurasian Economic Union, USA and Brazil have imposed trade remedial measures on imports of subject goods.
- m. Need for considering only injurious imports for injury analysis and injury margin.
- n. Dumping by Vietnamese and Thai producers, which were not subject to anti-subsidy duty, undermined full recovery of the domestic industry by flooding the Indian market with imports with landed prices lower than cost of sales of the domestic industry

H3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

- 59. The Authority has examined the arguments and counter arguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.
- 60. Rule 11 of the Anti-dumping Duty Rules, 1995 read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
- 61. The submissions made by the domestic industry and other interested parties during the course of investigation with regard to injury and causal link and considered relevant by the Authority are examined and addressed below under the relevant parameters.
- 62. The Authority notes that it is not necessary that all parameters of injury show deterioration. Some parameters may show deterioration, while some others may not. The Authority considers all injury parameters for assessing the financial parameters of the domestic industry. The Authority has examined the injury parameters objectively considering the facts and arguments submitted by the domestic industry and the other interested parties.

Cumulative assessment of imports

- 63. Article 3.3 of WTO agreement and Para (iii) of Annexure II of the AD provide that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigation, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
 - a. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article and
 - b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.
- 64. The Authority notes that the volume of imports from these countries is above the *de minimis* limits prescribed under the AD Rules.
- 65. In order to ascertain whether cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles, the following parameters have been examined: -

- a. Products supplied by different parties are like articles and are comparable in properties.
- b. Domestically produced products and the imported products are interchangeable. Consumers are using domestic products and imported products interchangeably and the exporter and the domestic industry have sold the same product to same set of customers.
- c. There is direct competition between the domestic product and the imported product and inter-se between the imported products.
- d. Import price from the subject countries have moved in tandem with each other.
- 66. The Authority notes that the domestic industry has provided evidence that the domestic producers and exporters from the subject countries sell the like product to the same category of customers and both are competing in the same market. Both the products are being used by the consumers interchangeably. The same has also been ascertained by the Authority through DG Systems data.
- 67. In view of the above, the Authority considers it appropriate to cumulatively assess the effects of dumped imports of the product under consideration from the subject countries on the domestic industry.

H.3.1. ASSESSMENT OF DEMAND / APPARENT CONSUMPTION

68. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product under consideration in India as the sum of domestic sales of the domestic industry and other Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	117	124
Sales of other producers	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	101	107	91
Imports from Vietnam	MT	42,013	33,474	46,626	46,310
Imports from Thailand	MT	2,496	11,812	7,703	7,049
Other imports	MT	65,474	15,128	8,551	7,489
Demand	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	91	96	90

69. It is seen that the demand for the subject goods declined in 2020-21 as compared to 2019-20 but increased thereafter in 2021-22 and has again declined slightly in the period of investigation. However, the demand has largely remained stable throughout the investigation period.

H.3.2. VOLUME EFFECT OF IMPORTS FROM SUBJECT COUNTRIES

70. With regard to the volume of the imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction wise import data procured from DG systems. The import volumes of the subject goods from the subject countries during the injury period and the period of investigation are as follows:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Domestic Production	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	112	119	130
Total Consumption/Demand	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	91	96	90
Imports	<u> </u>	1		1	1
Imports from Vietnam	MT	42,013	33,474	46,626	46,310
Imports from Thailand	MT	2,496	11,812	7,703	7,049
Imports from Subject Countries	MT	44,509	45,286	54,329	53,359

Other imports	MT	65,474	15,128	8,551	7,489		
Total	MT	1,09,983	60,414	62,880	60,848		
Imports from Subject Countries in relation to							
Domestic production	%	30-40	30-40	30-40	30-40		
Consumption/Demand	%	10-20	10-20	10-20	10-20		

71. It is seen that:

- a. The volume of imports from Vietnam declined in the year 2020-2021 as compared to the base year of the injury investigation period. However, there has been significant increase in import volume post 2020-2021.
- b. The volume of imports from Thailand increased significantly during 2020-21 as compared to the base year 2019-20, whereas post 2020-21, the import volume declined but remained stable.
- c. Although there has been a noticeable decline in demand, the reduction in imports has not mirrored the extent of this decrease.
- d. The imports from subject countries in relation to domestic production has decreased from ***% to ***%.

H.3.3. PRICE EFFECT OF THE IMPORTS FROM SUBJECT COUNTRIES

72. With regard to the price effect of the imports from the subject countries, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the alleged imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the imports from the Vietnam and Thailand has been examined with reference to price undercutting, price suppression and price depression, if any.

a. Price undercutting

73. To determine price undercutting, a comparison has been made between the landed value of the product and average selling price of the domestic industry, net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at the ex-factory level.

SN	Particulars (Vietnam)	UOM	200 series	300 series
1	Landed Price of imports from Vietnam	₹/MT	1,51,493	2,50,993
2	Net selling price	₹/MT	***	***
3	Price undercutting	₹/MT	***	***
4	Price undercutting	%	***	***
5	Price undercutting	Range	(0-10)	0-10

SN	Particulars (Thailand)	UOM	200 series	300 series
1	Landed Price of imports from Thailand	₹/MT	1,55,105	2,30,150
2	Net selling price	₹/MT	***	***
3	Price undercutting	₹/MT	***	***
4	Price undercutting	%	***	***
5	Price undercutting	Range	(0-10)	10-20

- 74. With regard to Vietnam, it is seen that though there has been negative price undercutting in case of 200 series, however, there is a positive price undercutting in the case of 300 series ranging from 0-10%.
- 75. As regards Thailand, it is seen that though there has been negative price undercutting in case of 200 series, however, there is a positive price undercutting in the case of 300 series ranging from ***%.
- 76. The Authority, however notes that the presence or absence of price undercutting in itself cannot be a determinant of injury to the domestic industry.

b. Price suppression/depression

77. In order to determine whether the effect of imports depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the Authority has examined the changes in the costs and prices of the domestic industry over the injury period.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	95	130	137
Selling price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	98	138	141
Landed price from Vietnam	₹/MT	1,56,842	1,71,120	2,02,932	2,43,168
Trend	Indexed	100	109	129	155
Landed price from Thailand	₹/MT	1,23,859	1,09,581	1,46,260	1,67,384
Trend	Indexed	100	88	118	135

78. The Authority notes that, during the base year, the domestic industry experienced some price pressure from imports, as evidenced by the selling price falling below the cost of sales. However, post the base year of the injury investigation period, the domestic industry has been able to sell the subject goods at prices above the cost of sales, indicating an absence of price pressure be it suppression or depression resulting from imports on domestic prices.

H.3.4. ECONOMIC PARAMETERS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

79. The Rules require that the determination of the injury shall involve an objective examination of the consequent injury of the subject imports on the domestic producers. With regard to the consequent impact of these imports on the domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry would include an objective unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, performance of the domestic industry has been examined over the injury period.

a. Production, capacity, capacity utilization and sales volumes

80. The performance of the domestic industry with regard to capacity, production, sales and capacity utilization over the injury period was as below:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	104	109	131
Total Production	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	112	119	130
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
Trend	%	50-60	60-70	60-70	50-60
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	117	124

81. The Authority observes that, despite the increases in capacity, capacity utilization, production, and sales of the domestic industry over the injury period, the industry has not been able to operate at its optimum level or fully utilize its capacity. During the injury investigation period, the domestic industry in the year 2021-22 has managed to utilize only ***% of its installed capacity, a figure that further declined to ***% during the period of investigation

b. Market share

82. Market share of the imports and domestic industry have been examined as below:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	117	124
Sales of other producers	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	101	107	91
Imports from Vietnam	MT	42,013	33,474	46,626	46,310
Imports from Thailand	MT	2,496	11,812	7,703	7,049
Other imports	MT	65,474	15,128	8,551	7,489
Demand	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	91	96	90
Market Share					
Domestic industry	%	20-30	30-40	30-40	30-40
Other Indian producers	%	40-50	40-50	40-50	40-50
Imports from subject countries	%	10-20	10-20	10-20	10-20
Other Imports	%	10-20	0-10	0-10	0-10

83. The Authority notes that the imposition of anti-subsidy duties has provided significant relief to the domestic industry, enabling it to increase its market share from ***% in the base year of the injury investigation period to ***% in the period of investigation. However, it is also observed that the trend of imports from subject countries has experienced an upward trajectory, rising from ***% in the base year to ***% during the period of investigation.

c. Inventories

84. Inventory position of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Average stock	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	130	141	166

85. It is noted that the inventories of the domestic industry have increased over the injury period.

d. Profitability, cash profits and return on capital employed

86. Profits, cash profits and return on capital employed of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	95	130	137
Selling price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	98	138	141
Profit / (loss)	₹/MT	(***)	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	686	2,267	976
Profit / (loss)	₹ Lacs	(***)	***	***	***
Trend	Indexed	100	761	2,652	1,234

Cash profits	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	448	1,129	609
Return on capital employed	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	253	452	212

87. The Authority notes that:

- i. The profitability of the domestic industry did increase till 2021-2022, however, it has declined by ***% in the period of investigation as compared to the previous year.
- ii. The return on capital employed also showed the same trend as it increased till the year 2021-2022 but thereafter has declined in the period of investigation by ***% as compared to the previous year.

e. Employment, wages and productivity

88. The Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity, as given below:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Employees	Nos.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	105	116	137
Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	112	119	130
Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106	103	95

89. It is noted that the number of employees increased over the injury period. The productivity per day has also increased over the injury, however, the productivity per employee started declining since 2020-2021 and has experienced a further decline in the period of investigation.

f. Growth

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Installed Capacity	%	-	***	***	***
Production	%	-	***	***	***
Domestic sales	%	-	***	***	***
Profit/(loss) per unit	%	-	(***)	***	(***)
Cash profits	%	-	***	***	(***)
Return on capital employed	%	-	***	***	(***)

90. It is noted that the installed capacity has demonstrated positive growth, reaching ***in the period of investigation as compared to previous year. However, the growth in domestic industry's production showed a decline from ***in 2020-21 to *** in the period of investigation. The domestic industry has also faced a decline in growth of domestic sales, which fell from *** in 2020-21 to *** during the period of investigation. Furthermore, cash profits and return on capital both showed negative growth during the period of investigation, despite exhibiting a positive growth rate during the injury period.

g. Ability to raise capital investment

91. The Authority notes that although the capacity of the domestic industry has increased during the injury period, the profitability of the domestic industry has declined in the period of investigation and recorded a decline in return on capital employed. Thus, the imports have adversely impacted the ability of the domestic industry to raise its capital investment.

I. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

- 92. The non-injurious price of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject countries for calculating the injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses are charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price.
- 93. The landed price for the cooperative producers / exporters from the subject countries has been determined on the basis of the data provided by the producers / exporters. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject countries, the Authority has determined the landed price based on the facts available.
- 94. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below.

SN	Particular	NIP	Landed price	Injury margin	Injury margin	Injury margin
		USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	Range
1	Vietnam					
A	Son Ha SSP Vietnam	***	***	***	***	Negative
В	Steel 568 Co. Ltd	***	***	***	***	0-10
G	Any other	***	***	***	***	10-20
2	Thailand	***	***	***	***	
a	I Stainless Steel Co., Ltd.	***	***	***	***	Negative
В	Any Other	***	***	***	***	10-20

J. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

95. The Authority examined whether other factors listed under the Anti-dumping Rules could have caused injury to the domestic industry. As per the Rules, the Authority, *inter alia*, is required to examine any known factors other than dumped imports which are injuring to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. The Authority examined whether other known listed factors have caused injury to the domestic industry.

a. Volume and value of imports from third countries

96. Apart from subject countries, imports of the subject goods from China are also at dumped prices. However, anti-subsidy duties has been imposed on imports from China.

b. Contraction in demand

97. The demand for the subject goods declined initially but has thereafter increased over the injury period. There is no information on record to suggest a contraction in demand. The domestic industry has not suffered injury due to contraction in demand.

c. Pattern of consumption

98. There has been no material change in the pattern of consumption of the product under consideration, to which the injury suffered can be attributed.

d. Conditions of competition and trade restrictive practices

99. There are no trade restrictive practices or conditions of competition, which can cause injury to the domestic industry apart from the low-priced imports from subject countries.

e. Developments in technology

100. There has been no change in technology for production of the subject goods, due to which the domestic industry has suffered injury.

f. Productivity

101. The productivity of the domestic industry has not decreased and thus, it has not suffered injury on this account.

g. Export performance of the domestic industry

102. The domestic industry has segregated the export performance from the domestic performance and thus, no injury has been caused on this account.

h. Performance of other products

103. The injury suffered cannot be attributed to the performance of other products of the company, as the domestic industry has segregated and provided information with regard to the product under consideration only

K. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

K1. SUBMISSIONS BY OTHER INTERESTED PARTIES

104. The interested parties have submitted that imposition of the anti-dumping duty will adversely impact the interest of the Indian user industry.

K2. SUBMISSIONS BY THE DOMESTIC INDUSTRY

- 105. The domestic industry has made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:
 - a. Importers and users have not participated or have responded to the economic interest questionnaire.
 - b. The responding the producers / exporters have not provided any information that may allow the Authority to determine whether imposition of the duties would be in public interest. The absence of any information in this regard shows that the producers / exporters do not have any evidence or information to prove that imposition of duties will have any adverse effect on the users in India.
 - c. Imposition of the duty would create favourable market conditions for the Indian steel sector as it would reduce dependence on steel imports.
 - d. It is in the consumers' interest to have a competitive domestic industry which is capable of supplying the product to the consumers in competition to fair-priced imports.
 - e. The Indian industry has sufficient capacities to meet the growing demand in India.
 - f. The Indian industry constitutes more than 100 of producers and imposition of duties will not create any monopoly in the Indian market.
 - g. The Indian industry is fragmented and majority of the producers of like article in India are MSMEs and imposition of duties is imperative to provide them with a level playing field.
 - h. The subject goods are not raw materials for other industries and thus the impact of duties, which is minimal, would not impact the performance of other industries.
 - i. The subject goods are used in residential or commercial construction and the costs on account of this product forms only 0.05% of the overall cost of a construction project. The impact of proposed duty is minimal.
 - j. The goods can be imported from various other countries such as Italy, Malaysia, USA and Korea RP.
 - k. The duties have not had any adverse effect since the demand has increased since the original CVD investigation.
 - 1. In case of imposition of duties, the outgoing foreign exchange would be conserved, which would lead to a favourable balance of payment.

K3. EXAMINATION BY AUTHORITY

- 106. The Authority notes that the purpose of duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping duty does not aim to restrict imports from the subject countries in any way. The Authority recognizes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India marginally, however, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would prevent decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.
- 107. Post initiation of investigation, the Authority issued an economic interest questionnaire to all the interested parties. However, the response to the questionnaire was filed by the domestic industry and two producers from Vietnam namely Sonha SSP Vietnam and Steel 568 Co., Ltd. Apart from the said parties, no

producers/exporter, importers or users of the subject goods, have participated in the investigation or filed a response to the economic interest questionnaire. Further, the administrative ministry for the subject goods and the downstream product has also not objected or made any statement regarding the imposition or expiry of duty.

- 108. The Authority notes that no evidence has been provided to show that imposition of duties may deteriorate the performance of the users. As noted above, despite the Authority providing an opportunity to provide structured and substantiated information, in the response to the economic interest questionnaire, the users have abstained from participating in the present investigation. In view of the same, the Authority notes that it cannot be concluded that the imposition of measures would result in an adverse impact on the user industry.
- 109. In this regard, the Authority also notes that the domestic industry had furnished quantified impact of antidumping duty on the users. As per the information shared by the domestic industry, the impact on users was in about 0.05%.
- 110. With regard to availability of the like article in the country, the Authority notes that the anti-dumping duty does not restrict imports from the subject countries, but only provides a level playing field. Such a level playing field shall allow many MSME companies to flourish in the Indian market. The Indian industry has sufficient capacity to cater to the growing demand in India. Since the imposition of CVD duties, the demand has increased.
- 111. As per the information on record there is sufficient capacity in India to cater to domestic demand.
- 112. The fragmented nature and presence of multiple producers would also ensure *inter-se* competition between the domestic producers. As a result, the users would be assured of competitive prices in the domestic market, and easy availability of the subject goods. The applicants have also highlighted that the product can also be imported from other countries.
- 113. In view of the foregoing, the Authority concludes that imposition of duty would not have an adverse impact on the users as well as to the availability of the subject goods in the domestic market.

L. POST DISCLOSURE COMMENTS

L1. SUBMISSIONS BY OTHER INTERESTED PARTIES

- 114. TVL argues that the Customs Tariff Act, 1975 or the Anti-dumping Rules do not prohibit grant of individual duty in case of low export volumes. The Authority has granted individual duty rates in past cases, such as in 2007 and 2008 for imports of DI Pipes and Ceftriaxone Sodium Sterile despite having only two export transactions to India. The respondent requests the Authority to be consistent in granting individual duty rates.
- 115. In addition to the above submission TVL requests the Authority that if its request for individual duty rates gets rejected, it should be allowed to approach the Authority with a New Shipper Review.

L2. SUBMISSIONS BY THE DOMESTIC INDUSTRY

- 116. Gia Anh and OSS Daiduong have failed to circulate the non-confidential version of its response to the domestic industry preventing it from making comments to defend its interest. In light of such failure on part of the two producers, the responses must be disregarded as per Rue 7(3) of the Anti-Dumping Rules, 1995.
- 117. The product under consideration is being imported in different grades (series) within the same PCN. The prices at which these grades within the same PCN are being imported are also different. Therefore, there is need for proper price adjustments for the differences in physical characteristics of the imported and domestic product.
- 118. The raw material prices in Vietnam and Thailand are understated, due to particular market situation prevalent in these markets. The international prices of raw materials should be considered for determination of the cost of production.

L3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

- 119. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the interested parties and notes that majority of the comments/submissions are reiterations which have already been suitably examined and adequately addressed in the relevant paras of the final findings. The same are not being repeated in the post-disclosure examination by the Authority for the sake of brevity. The issues raised for the first time in the post-disclosure comments/submissions by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below.
- 120. Regarding TVL's concern about the individual duties assigned to exporters with only two transactions in the POI, the Authority notes that both the cases cited by TVL, the concerned parties had a history of exporting prior to the POI, and it was during the POI that they had only two transactions of exports to India. However, TVL's export volumes were low both during the POI and the year prior to it. This circumstance does not allow

the Authority to reasonably affirm that TVL's export prices are not manipulative. As mentioned earlier, the Authority tried to have a deeper scrutiny of the export price to assure itself that the export price of the limited exports from TVL truly reflects its price and has not been influenced by the prevailing anti-subsidy duties on imports of the subject goods from the subject country. In order to re-assure itself, the Authority has looked at TVL's export price to third countries. The purpose of this inquiry was to ascertain whether the export price of TVL to third countries was comparable to its export price to India and reach to a conclusion that the export price of TVL with such export volume was not 'coloured'. However, TVL's export to third countries was also very low, and hence, the Authority rejects TVL's claim for the grant of an individual rate of duty.

- 121. Without prejudice to the above, it has been noted that CVD duties were already in force against the imports of the subject goods from Vietnam and a parallel sunset review CVD investigation was also initiated. The duties imposed by the Authority in the original CVD investigation are in public domain. This information could potentially enable new exporters to manipulate their prices. The circumstances of the investigations cited by TVL pertains to original anti-dumping investigations wherein CVD duties were not in force on the subject goods, and therefore, cannot be compared with the current investigation. Had it been the original investigation with no other trade remedial duty like CVD already in force, the low export volumes may not have needed such a deeper scrutiny to analyse the true reflection of prices. Therefore, to say that the low export volumes should be considered and the exporter/producer should be granted an individual rate of duty under the straight jacket formula cannot be appreciated.
- 122. The applicants have claimed that Gia Anh and OSS Daiduong have failed to circulate the non-confidential version of response to the domestic industry preventing it from making comments to defend its interest. In light of such failure on part of the two producers, the responses must be disregarded as per Rue 7(3) of the Anti-Dumping Rules, 1995. The Authority notes that despite instructions from the Authority, Gia Anh and OSS Daiduong failed to share the non-confidential versions of their submissions with the other interested parties and hence they did not get an opportunity to make any reasonable submissions with regard to submissions of above two producers/exporters. Hence, the responses of Gia Anh and OSS Daiduong have been disregarded by the Authority and both Gia Anh and OSS Daiduong have not been accorded individual duties.
- 123. The Authority notes that the applicants have repeated their submission regarding adjustments in prices to ensure a fair comparison, particularly for imports within the 300 series, specifically 304 and 316L. This issue has been already examined above in paragraph 5 by the Authority.
- The Authority notes that an opportunity was granted to the interested parties including the applicants to provide their comments on the scope of the PUC and propose product control numbers (PCNs), if required, for the sake of fair comparison in terms of Article 2.4 of the WTO agreement and Annexure I, paragraph 6 of the Antidumping Rules, 1995 within a period of 15 days from the date of the circulation of the non-confidential application. The PCNs were notified by the Authority on 15th April, 2024 after duly considering the comments filed by all the interested parties. It is pertinent to note that the same PCNs as proposed by the interested parties including the applicant and later notified by the Authority in the subject investigation, were also requested by the applicants in the original and recently concluded SSR CVD investigations concerning imports of the subject goods. It is noted that the PCNs are formulated for the very purpose of capturing the price variations amongst PUC grades and to carry out a fair apple to apple comparison. Any sub-classification within the PCNs will result into an endless and futile exercise. Importantly, no such request for price adjustment within the PCNs was made by the applicants during the concluded SSR CVD investigation, which covered the same period of investigation as the current one. Arguendo, it is noted that J3 (200 series) and 304 (300 series) are the main grades exported to India. Other grades constitute even less than 5% in the total imports of the subject goods from the subject countries as clearly evidenced from the information shared by the applicant industry in its revised injury information dated 05 June, 2024. Therefore, the Authority has, in view of the above, not made any price adjustments/modifications in the PCNs already notified by the Authority.
- 125. The applicants reiterated their submissions that the raw material prices in Vietnam and Thailand are understated, due to particular market situation prevalent in these markets. The international prices of raw materials should be considered for determination of the cost of production. It is noted that this issue has been already examined above. The Authority notes that the calculation of Cost of Production (COP) has been done based on the records maintained by the exporter or producer of the subject countries, which duly adheres to the generally accepted accounting principles of the exporting country and reasonably represent the costs associated with the production and sale of the product under consideration.

M. CONCLUSION

126. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority, as recorded in the above findings, and on the basis of above analysis of the dumping, injury and causal link to the domestic industry, the Authority concludes as follows:

- i. The product under consideration in the present investigation is Welded Stainless Steel Tubes and Pipes classified under Chapter 73 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) under the tariff codes 7306 40 00, 7306 61 00 and 7306 69 00. The domestic industry has submitted that the subject goods are also being imported under the HS Codes 7304 11 10, 7304 11 90, 7304 41 00, 7304 51 10, 7304 90 00, 7305 11 29, 7305 90 99, 7306 11 00, 7306 21 00, 7306 29 19, 7306 30 90, 7306 50 00, 7306 90 11, 7306 90 19 and 7306 90 90.
- ii. The product produced by the domestic industry is like article to the product imported from Thailand and Vietnam.
- iii. The applicants constitute domestic industry within the meaning of Rule 2(b).
- iv. The application contained all information relevant for the purpose of initiation of the investigation and the application contained sufficient *prima facie* evidence to justify initiation of the present investigation. Further, the applicants provided all information considered relevant and necessary by the Authority for the purpose of the present investigation.
- v. The domestic industry suffered injury on account of the imports of the subject goods from the subject countries, as established by the following factors:
 - a) There is a decline in demand of the subject goods, however, imports from the subject countries increased significantly in the POI as compared to 2019-20 and 2020-21. Further, imports from the subject countries increased in relation to consumption.
 - b) The landed price of the subject countries for 300 series is below the selling price of the domestic industry. The domestic industry is forced to compromise on margins due to the low-priced imports from the subject countries.
 - c) Production, capacity, sales volume and market share in demand of the domestic industry showed positive growth over the injury period due to anti subsidy duty in place against Vietnam. However, capacity utilisation, return on investment, cash profit and PBIT decreased in POI demonstrating need for imposition of antidumping duty.
 - d) Landed value of Thailand of 300 series are even lower than Vietnam. Non-imposition of duty may result into injury to the domestic industry.
 - e) Excess capacities for the product under consideration are available with the producers / exporters from subject countries. India is a major market for the producers / exporters of subject countries. Accordingly, nonimposition of duty may result into injury to the domestic industry.
 - f) Producers in the subject countries are facing trade remedial measures in Türkiye, Eurasian Economic Union, USA and Brazil and have lost export volumes to these countries. Therefore, these producers are likely to shift their exports to Indian market in case of non-imposition of duty.

N. RECOMMENDATIONS

- 127. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all the interested parties including Government of Thailand and Government of Vietnam and adequate opportunity was given to them to provide information on the aspect of dumping, injury, causal link and impact of measures, if recommended. Having initiated and conducted the investigation in terms of provisions of investigation as laid down under the Antidumping Duty Rules, the Authority has reached a conclusion that the duty is required to be imposed on subject goods.
- 128. Having regard to the lesser duty rule, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duties equal to the margin of dumping or margin of injury, whichever is lower, so as to remove the injury to the domestic industry. The Authority recommends definitive anti-dumping duties on Thailand as indicated in Column No.7 of the duty table below. As regard Vietnam, the countervailing duties are already recommended for the subject goods, therefore, an amount equivalent to the difference between the quantum of anti-dumping duty mentioned in Column No. 7 below and countervailing duty payable, if any, is recommended. The anti-dumping duties are recommended for a period of five years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government.

DUTY TABLE

S. No	Heading/Sub heading	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Duty Amount (\$/MT)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

S. No	Heading/Sub heading	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Duty Amount (\$/MT)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	73064000,	Welded stainless	Vietnam	Any country	Sonha SSP	NIL**
	73066100,	steel pipes and tubes		including Vietnam	Vietnam	
	73066900,			V 10	Sole Member	
	7304 11 10,				Company Limited	
	7304 11 90,					
	7304 41 00,					
	7304 51 10,					
	7304 90 00,					
	7305 11 29,					
	7305 90 99,					
	7306 11 00,					
	7306 21 00,					
	7306 29 19,					
	7306 30 90,					
	7306 50 00,					
	7306 90 11,					
	7306 90 19 and					
	7306 90 90#					
2	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	Steel 568 Co., Ltd	NIL**
3	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	Any producer other than s. no. 1 and 2 above	307.79**
4	-do-	-do-	Any country other than the *subject countries	Vietnam	Any producer	307.79**
5	-do-	-do-	Thailand	Any country including Thailand	I Stainless Steel Co Ltd., Thailand	NIL
6	-do-	-do-	Thailand	Any country including Thailand	Any producer other than s. no. 5 above	246.49
7	-do-	-do-	Any country other than the *subject countries	Thailand	Any	246.49

The customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration.

*Subject countries mean Thailand and Vietnam

**For Serial No. 1 to 4 above, the countervailing duties are already recommended by DGTR vide its File no. 7/23/2023-DGTR, dated 15th June 2024 for the subject goods therefore, an amount equivalent to the difference between the quantum of anti-dumping duty mentioned in Column No. 7 above and countervailing duty payable, if any, is recommended.

129. An appeal against the order of the Designated Authority arising out of this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975.

ANANT SWARUP, Designated Authority